ए गवर्नेंस लैंडफिल

महामारी के दौरान राजधानी में कचरा बीनने वाले समुदाय की त्रासदीपूर्ण कहानी

प्रोजेक्ट रिसर्च निदेशक:
एविटा दास

रिसर्च गाइड:
विजयन एम जे

मुख्य लेखक:
अक्षरा

रिसर्च कोऑर्डिनेटर:
उमेश बाबू

संपादन:
ऋतुपर्णा सेनगुप्ता

डिजाइन और कवर पेज चित्रण:
रवि कुमार कावड़े

अनुवादन :
अंशुल राय

प्रकाशन तिथि:
25 फरवरी 2025

सहयोग में:
ऑल इंडिया कबाड़ी मज़दूर महासंघ (AIKMM) और दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM)

प्रकाशक:
पीपल्स कमीशन और पब्लिक इनक्वायरी कमेटी

A Governance Landfill- The tragic story of Capital's Waste-picking community during the pandemic © 2024 by People's Commission & Public Inquiry Committee is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Cite as:
Das, E., MJ, V., Akshara, U., & Sengupta, R. (2024). *A Governance Landfill: The Tragic Story of Capital's Waste-Picking Community During the Pandemic.* People's Commission and Public Inquiry Committee, in collaboration with All India Kabadi Mazdoor Mahasangh and Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch.

अभिस्वीकृति

पिछले दो वर्षों में, पीपल्स कमीशन और पब्लिक इंक्वायरी कमेटी (PC-PIC) की पहल ने भारत में महामारी के दौरान उत्पन्न चुनौतियों के बीच सत्य, जवाबदेही और न्याय की दिशा में निरंतर प्रयास किया है। हमारे प्रयासों का केंद्र उन व्यक्तियों की आवाज़ों और अनुभवों को प्रमुखता देना रहा है जो महामारी और उसके बाद लगे लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। हमारा सामूहिक उद्देश्य नागरिक चर्चा को पुनर्जीवित करना और अन्याय की गंभीर समीक्षा को प्रोत्साहित करना है, और विशेष रूप से मृत्यु, ऋण और संकट के गहरे प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना।

PC-PIC ने भारत के विभिन्न हिस्सों, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि में विभिन्न समुदायों के साथ कई जनसुनवाई आयोजित की। दिल्ली में कचरा बीनने वाले लोगों की ओर से जनसुनवाई की काफी मांग थी। इसके परिणामस्वरूप, हमारी पहल मार्च 2023 में आगे बढ़ी, जिसके तहत दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जनसुनवाई आयोजित की गई ताकि महामारी के उनके जीवन पर पड़े प्रभावों को समझा जा सके।

हम उन सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इन जनसुनवाई में भाग लिया और हमें इन्हें संचालित करने तथा इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में उदारतापूर्वक सहयोग दिया।

यह ऑल इंडिया कबाड़ी मजदूर महासंघ (AIKMM), दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM), और पीपल्स कमीशन एवं पब्लिक इंक्वायरी कमेटी (PC-PIC) का संयुक्त प्रयास है, जो सामूहिक जांच की एक श्रृंखला का परिणाम है। हम इस अवसर पर कचरा बीनने वाले साथियों के प्रति अपनी एकजुटता और सलाम प्रकट करना चाहते हैं। हम उनके साहस को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने सामूहिक अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए, सरकार के निरंतर दावों और झूठ को उजागर किया। इन अंतर्दृष्टियों ने हमारे भविष्य के एडवोकेसी प्रयासों और नीतिगत सिफारिशों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है |

हम वेस्टपिकर्स वेलफेयर फाउंडेशन (WWF), एसोसिएशन फॉर सोशल जस्टिस एंड रिसर्च (ASoJ), AIKMM, और DASAM टीम का इस महत्वपूर्ण आयोजन को साकार करने में उनके समर्पण और समर्थन के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके प्रतिबद्ध प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि कचरा बीनने वाले लोगों की आवाज़ जनसुनवाई के दौरान प्रभावी रूप से गूंजे, जिससे इस पहल में उनका बहुमूल्य योगदान उजागर हो सके।

हम विशेष रूप से श्री शशि B. पंडित को इस प्रयास के समन्वय और इसे आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद देते हैं, श्री संजीव डांडा को जनसंगठन में उनके समर्थन के लिए, और श्री उमेश बाबू को जमीनी संवाद और डेटा विश्लेषण का नेतृत्व करने के लिए हमारा विशेष धन्यवाद।

हम उन सभी वालंटियर्स के प्रति गहरी सराहना व्यक्त करते हैं जिन्होंने जवाबदेही और न्याय को सशक्त बनाने के लिए अपना समय निकालकर व्यापक जमीनी दौरे किए और लोगों की सच्चाई को सामने लाने में सहयोग दिया। उनकी मेहनत और जुनून ने इन प्रक्रियाओं की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हम विशेष रूप से पीपल्स कमीशन के विशेषज्ञ पैनल का उनकी भागीदारी, मूल्यवान सुझावों और सिफारिशों के लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही, एसोसिएशन फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट (AID) और उनके निस्वार्थ वालंटियर्स की PC-PIC टीम को निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट करते हैं।

हम आशा करते हैं कि सवाल उठाने और निरंतर प्रयास करने से अन्य समूह भी आगे आएंगे और यह जांच करेंगे कि महामारी का प्रभाव लोगों के जीवन पर अब भी कैसे जारी है। यह तब भी आवश्यक है जब जवाबदेही की कमी हो और लोगों को अपने अनुभवों और यादों से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा हो।

संक्षेप

AID - भारत विकास संघ (एसोसिएशन फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट)

AIKMM - ऑल इंडिया कबाड़ी मज़दूर महासंघ

COVID-19 - कोरोना वायरस बीमारी 2019

DASAM - दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच

FIR - प्रथम सूचना रिपोर्ट

GST - वस्तु एवं सेवा कर

ID - पहचान दस्तावेज़

IPC - भारतीय दंड संहिता

OBC - अन्य पिछड़ा वर्ग

PC-PIC - पीपल्स कमीशन एवं सार्वजनिक जाँच समिति

PIL - जनहित याचिका

PPE - व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

MCD - दिल्ली नगर निगम

MLA - विधायक (विधान सभा सदस्य)

SC - अनुसूचित जाति

ST - अनुसूचित जनजाति

SWM - ठोस कचरा प्रबंधन

WWF - कचरा बीनने वालों का कल्याण फाउंडेशन

विषय सूची

कार्यकारी सारांश 9

परिचय 11

पीसी-पीआईसी और सार्वजनिक सुनवाइयों की आवश्यकता 13

दिल्ली के कचरा बीनने वाले लोग 15

विधि और प्रक्रिया 18

जनसांख्यिकीय विवरण और विशेषताएँ 20

निष्कर्ष 22

मौन संघर्ष; आजीविका की हानि 22

उत्पीड़न और डराना-धमकाना: एक निरंतरता 24

वित्तीय संकट = बढ़ता हुआ कर्ज 26

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम: अप्रभावी नीतियाँ और अधूरी वादे 28

स्वास्थ्य में गिरावट 29

अवलोकन और टिप्पणियाँ 32

महामारी के दौरान कचरा बीनने वाले समुदाय को अग्रिम पंक्ति के रक्षकों के रूप में क्यों नहीं माना गया ? 34

पीपल्स कमिश्नर्स का परिचय 39

ग्रंथसूची 40

अनुलग्नक 41

PUBLIC HEARING ON
SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF WASTE PICKERS

कार्यकारी सारांश

कोविड-19 ने लगभग पाँच-साल पहले भारत को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में व्यापक तबाही मची। सरकार द्वारा महामारी के प्रबंधन की गलतियाँ और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की कमी ने, जो एक स्वास्थ्य संकट के रूप में शुरू हुआ था, उसे जल्दी ही एक सामाजिक-आर्थिक आपदा में बदल दिया। सबसे ज्यादा प्रभावित वे लोग थे जो श्रमिक वर्ग और असंगठित क्षेत्रों से थे।

यह रिपोर्ट, जो पीपल्स कमीशन और सार्वजनिक जाँच समिति (PC-PIC) द्वारा तैयार की गई है, दिल्ली में कचरा बीनने वालों के जीवन और महामारी के उनके जीवन पर स्थायी प्रभावों का विश्लेषण करती है, और इसे ऑल इंडिया कबाड़ी मज़दूर महासंघ (AIKMM) के साथ मिलकर भुआपुर, भलस्वा और घरोली में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा लागू किए गए प्रारंभिक राष्ट्रीय लॉकडाउन ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों, जिनमें कचरा बीनने वाले लोग भी शामिल थे, के लिए विनाशकारी परिणाम उत्पन्न किए। ये श्रमिक, जो शहरों को साफ रखने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पूरी तरह से मार्गदर्शन और उपयुक्त राहत उपायों के बिना छोड़ दिए गए। दिल्ली में अकेले लगभग दो लाख कचरा बीनने वालों को महामारी के दौरान सहायता नहीं मिली।

जहाँ 2016 के ठोस कचरा प्रबंधन नियमों ने कचरा प्रबंधन को विकेन्द्रीकरण करने और इसे अधिक समावेशी बनाने का प्रयास किया, वहीं कचरा बीनने वाले यह रिपोर्ट करते हैं कि उनके आजीविका पर खतरा लगातार बढ़ रहा है, विशेषकर कचरा संग्रहण के निजीकरण के कारण, जो महामारी के दौरान और भी बढ़ गया। इसके अलावा, वे दिल्ली नगर निगम, नगर निगम द्वारा चयनित कंपनियों और पुलिस से नियमित उत्पीड़न का सामना करते हैं, जो उनकी आजीविका अर्जित करने की क्षमता को और बाधित करता है। उनकी स्थिति सरकार और समाज द्वारा उपेक्षा और हाशिए पर डालने का एक बड़ा उदाहरण है, जो भारतीय संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है।

महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के दौरान, कचरा बीनने वालों द्वारा झेली गई कठिनाइयाँ नाटकीय रूप से बढ़ गईं, क्योंकि सरकार ने लोकतांत्रिक राज्य की बजाय पुलिस-प्रधान दृष्टिकोण अपनाया। आपदा प्रबंधन अधिनियम (DMA) और आवश्यक सेवाओं का रख-रखाव अधिनियम (ESMA) के तहत कड़े उपायों ने एक पुलिस राज्य जैसा वातावरण बना दिया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता दब गई। इस अवधि में पुलिस और नागरिकों के बीच संघर्षों में वृद्धि हुई, जो जाति और वर्ग आधारित पक्षपाती दृष्टिकोणों से और भी बदतर हो गई। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने DMA और ESMA के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अक्सर मनमानी की, और कचरा बीनने वालों को 'लॉकडाउन उल्लंघनकर्ता' के रूप में लेबल किया और बिना किसी आधार के उन्हें COVID-19 फैलाने का दोषी ठहराया। यहाँ तक कि जब प्रतिबंधों में ढील दी गई और कचरा बीनने वाले अपने महत्वपूर्ण कार्य में लौट आए, तो उन्हें पुलिस और कंपनियों द्वारा लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जो उन्हें बीमारी फैलाने और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते थे।

यह रिपोर्ट कचरा बीनने वाले समुदाय के भीतर जातिगत संरचना की भी जाँच करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हाशिए पर मौजूद समुदायों को महामारी के प्रभाव का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा। आँकड़ों के अनुसार, 34.4% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कचरा बीनने वालों ने 75% से अधिक आय हानि की रिपोर्ट की, जबकि 56.5% ने नगर निगम अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की घटनाओं को दर्ज किया। वहीं, 12.5% अनुसूचित जाति (SC) के सदस्यों ने यह बताया कि कचरा संग्रह के दौरान पुलिस और कंपनियों द्वारा रिश्वत माँगने के कारण उनकी आय में गिरावट आई। ये निष्कर्ष उस प्रणालीगत असमानता और भेदभाव को उजागर करते हैं, जिसका सामना कचरा बीनने वाले अक्सर अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जातिगत पहचान के कारण करते हैं।

सरकार द्वारा जन-केंद्रित शासन और विभिन्न उपलब्धियों के दावों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि महामारी के दौरान कचरा बीनने वाले समुदाय के समर्थन के लिए कोई विशेष योजना लागू नहीं की गई। ज़मीनी स्तर पर सामने आई कहानियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं कि इस समुदाय को पूरी तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया था और उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। यहाँ तक कि स्थानीय पार्षदों ने भी इस संकट के समय इस कमजोर समुदाय की मदद करने से इनकार कर दिया।

महामारी की शुरुआत के पाँच-साल बाद भी यह स्पष्ट है कि कचरा बीनने वालों की चुनौतियों को लगातार नज़रअंदाज़ किया गया है। जब सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्गों का समर्थन करने में विफल रहती है, खासकर ऐसे कठिन समय में, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि इन कार्यों की गहन समीक्षा की जाए और उन लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए जो इस उपेक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

परिचय

द पीपल्स कमीशन और पब्लिक इंक्वायरी कमीटी

कोविड-19 की पहली रिपोर्ट भारत में लगभग साढ़े चार साल पहले आई थी। इतने समय बीत जाने के बावजूद, सरकार के विभिन्न निर्णयों के स्थायी प्रभाव अभी भी कुछ क्षेत्रों और समुदायों को प्रभावित कर रहे हैं। विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के लोग, सरकार द्वारा वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कठोर कदमों के दीर्घकालिक परिणामों से अब भी जूझ रहे हैं।

24 मार्च 2020 को, जब कोविड-19 के मामले बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8:00 बजे अचानक 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यह कदम नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी की घोषणा की तरह अप्रत्याशित था। इस अचानक लिए गए निर्णय ने जनता को बिना किसी दिशा के उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। लॉकडाउन का अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिनकी आजीविका प्रतिदिन की गतिशीलता पर निर्भर थी। स्पष्ट दिशा-निर्देश या सहायता के बिना फंसे हुए इन श्रमिकों को तुरंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार के बिना तैयारी और कठोर लॉकडाउन ने लाखों श्रमिक वर्ग और उत्पीड़ित जाति के लोगों को संकट में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी आजीविका पूरी तरह खो दी।

पहले से ही 2016 में हुई विनाशकारी नोटबंदी और जीएसटी लागू करने से प्रभावित अनौपचारिक क्षेत्र को महामारी के कुप्रबंधन के कारण गंभीर वित्तीय और मानसिक संकट का सामना करना पड़ा। 2016 से 2021 के बीच, नोटबंदी के बाद अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में 1.3 करोड़ से अधिक श्रमिकों की नौकरियां चली गईं।[1] महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन ने इस संकट को और बढ़ा दिया, जिससे केवल अप्रैल 2020 में ही 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खो दीं।[2]

भारत अभी तक पूरी तरह से महामारी से उबर नहीं पाया है। हालांकि, सरकार यह बनाए रखना चाहती है कि महामारी का प्रबंधन अच्छे से किया गया था और अब हम सुधार के रास्ते पर हैं।

जबकि सरकार मजबूत आर्थिक सुधार और विकास के दावे करती है, यह आवश्यक है कि हम प्रमुख महामारी संबंधी आँकड़ों—जैसे बेरोजगारी दर, गरीबी स्तर आदि—पर ध्यान दें, ताकि यह याद रखा जा सके कि बिना योजना के लगाए गए लॉकडाउन और संकट के कुप्रबंधन ने COVID-19 को भारत में एक आर्थिक और मानवीय आपदा में बदल दिया। जब 24 मार्च 2020 को पहला राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया, तो अप्रैल तक 12.2

1 https://www.thehindubusinessline.com/data-stories/data-focus/24-lakh-fewer-manufacturing-entities-in-informal-sector-in-2021-compared-to-2016/article68393093.ece#:~:text=In%20terms%20of%20employment%2C%20too,3.48%20crore%20in%202010%2D11.

2 https://www.thehindubusinessline.com/data-stories/data-focus/24-lakh-fewer-manufacturing-entities-in-informal-sector-in-2021-compared-to-2016/article68393093.ece#:~:text=In%20terms%20of%20employment%2C%20too,3.48%20crore%20in%202010%2D11.

करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियां खो दीं। मई 2020 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हो गई, जो महामारी से पहले, मध्य मार्च में 7% से भी कम थी।[3] विश्व बैंक की गरीबी और साझा समृद्धि 2022 रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में COVID-19 के कारण गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले लोगों में लगभग 80% भारत से थे।[4]

> "सही समय पर सही फैसलों से भारत बेहतर स्थिति में,"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में यह बयान दिया। उनका यह कथन उस नाजुक समय पर आया जब देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही थी और COVID-19 के एक मिलियन से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके थे।[5]

प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंचों पर और भी आत्मप्रशंसात्मक बयान दिए, जो उस समय देश में व्याप्त गंभीर संकट से पूरी तरह अलग थे।

> "भारत ने कोरोनावायरस को प्रभावी रूप से नियंत्रित करके दुनिया और पूरी मानवता को एक बड़ी त्रासदी से बचाया है,"

प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जनवरी 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यह बयान दिया.

> "मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक महामारी बनी रहेगी, हम गरीबों की रक्षा करेंगे,"

प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2021 में यह बयान दिया।

विभिन्न तथ्य, आंकड़े और जमीनी हकीकतों के बावजूद, केंद्र सरकार के महामारी प्रबंधन को लेकर किए गए बढ़ा-चढ़ाकर दावे अब भी जारी हैं। यह कहना उचित होगा कि 2024 के आम चुनावों के नतीजे जनता की जवाबदेही और सुशासन की मांग को दर्शाते हैं, जो विभाजनकारी धार्मिक और मंदिर राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई। अयोध्या, रायबरेली और हरियाणा जैसे गढ़ों में सत्तारूढ़ दल की अप्रत्याशित हार आम नागरिकों का स्पष्ट संदेश है। जनता के अधिकार और उनकी चिंताएँ, केंद्र सरकार के महामारी प्रबंधन पर किए गए दावों, गलतियों को नकारने और जिम्मेदारी से बचने के प्रयासों पर भारी पड़ीं। कोविड-19 कई चरणों में चुनावों का केंद्रीय मुद्दा बना रहा, और एग्जिट पोल यह संकेत दे रहे थे कि महामारी 2024 के चुनाव परिणामों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे मोदी सरकार अल्पमत सरकार बन गई और गठबंधन सरकार की आवश्यकता पड़ी।

भारत में महामारी के दौरान विभिन्न सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामों की पूरी सीमा को अब तक किसी सरकारी एजेंसी या वैधानिक निकाय द्वारा पूरी तरह से जांचा नहीं गया है। औपचारिक समीक्षा के अभाव में, अगस्त 2021 में लगभग 200 संगठनों ने सार्वजनिक रूप से एक स्वतंत्र जांच करने के लिए एकजुट हुए। पीपल्स कमीशन और पब्लिक इनक्वायरी कमिटी (PC-PIC) के शुरुआती कार्यों की निगरानी करने के लिए एक आल इंडिया सचिवालय और वर्किंग ग्रुप स्थापित किए गए थे—यह एक पहल थी जिसका उद्देश्य नागरिकों के

---

3 https://www.thehindu.com/business/indias-unemployment-rate-rises-to-2711-amid-covid-19-crisis-cmie/article61660838.ece https://www.thehindu.com/business/indias-unemployment-rate-rises-to-2711-amid-covid-19-crisis-cmie/article61660838.ece

4 https://covidtruths.in/wp-content/uploads/2024/06/Covid-Report-Card-2024-PCPICWeb.pdf

5 https://edition.cnn.com/2020/07/16/asia/india-wealth-gap-coronavirus-intl-hnk/index.html

अधिकार को सशक्त बनाना था, ताकि वे राज्य और निजी क्षेत्र से जवाबदेही की मांग कर सकें, सवाल उठा सकें और जांच कर सकें। सरकार की प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए, यह जरूरी हो गया है कि सार्वजनिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए ताकि सत्ता में बैठे लोग अपनी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराए जाएं।

ऑल इंडिया कबाड़ी मजदूर महासंघ (AIKMM) ने इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने में मदद करके। मार्च 2023 में AIKMM के साथ बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM) और वेस्ट पिकर्स वेलफेयर फाउंडेशन (WWF) जैसे क्षेत्रीय संगठनों ने दिल्ली और गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) के अपने-अपने क्षेत्रों में कचरा बीनने वाले समुदायों के बीच सार्वजनिक सुनवाई की, ताकि महामारी के कारण उन्हें जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं, उनकी सामूहिक जांच की जा सके।

भुआपुर (गाज़ियाबाद), भलस्वा, और घरौली में व्यक्तिगत सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई, जो अंततः नई दिल्ली के संविधान क्लब में एक बड़े सार्वजनिक सुनवाई सत्र में परिणत हुई।

पीसी-पीआईसी और सार्वजनिक सुनवाइयों की आवश्यकता

कोविड-19 ने उन अनेक तरीकों को उजागर किया जिनमें सरकार अपने लोगों को विफल कर रही थी। भारतीय सरकार ने इस स्वास्थ्य, आर्थिक और मानवीय संकट को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में देखने के बजाय कानून-व्यवस्था का मुद्दा बना दिया। संकट का सामूहिक रूप से समाधान करने के लिए नागरिक समाज संगठनों, निजी क्षेत्र और राजनीतिक दलों के बीच सहयोग की भावना विकसित करने के बजाय, सरकार ने महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया, जिससे लॉकडाउन उपायों को लागू करने और महामारी को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती संभव हो सकी।

सरकार के अचूक और जानबूझकर किये गए कुप्रबंधन ने लाखों लोगों की जान और आजीविका छीन ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत में 47 लाख COVID-19 से संबंधित मौतें हुईं,[6] लेकिन केंद्र सरकार इन आंकड़ों को स्वीकार करने से इनकार करती है और केवल 5.3 लाख मौतों को मान्यता देती है, जो वास्तविक संख्या से बहुत कम है।[7] सरकार WHO के अनुमान को लगातार खारिज कर रही है, यह दावा करते हुए कि उनकी पद्धति त्रुटिपूर्ण थी। इस पहले से ही अशांत समय के दौरान, लोग खुद को बचाने के लिए मजबूर हो गए, जबकि कुछ व्यवसायों ने इस संकट का फायदा उठाकर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए अत्यधिक कीमत वसूली। इसके अलावा, बार-बार लगाए गए लॉकडाउन ने आजीविका नष्ट कर दी, जिससे अनगिनत परिवार दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए।

सरकारी जवाबदेही और निगरानी के अभाव में, PC-PIC का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया तैयार करना है – "जनता द्वारा, जनता के लिए, और जनता का। " इसका लक्ष्य संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करना, पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना और एक निचले स्तर से ऊपर उठने वाला दृष्टिकोण विकसित करना है, जिससे उन नागरिकों को सशक्त बनाया जा सके जिन्हें राज्य की सुनियोजित नीतियों ने असहाय छोड़ दिया है।

6 https://www.thehindu.com/sci-tech/health/who-estimates-47-million-covid-linked-deaths-in-india-10-times-official-count/article65385669.ece

7 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/

PC-PIC ने महामारी के दौरान लोगों द्वारा झेली गई विभिन्न समस्याओं पर डेटा एकत्र किया, जिनमें सरकार द्वारा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की कमी, अस्पतालों और प्रयोगशालाओं द्वारा आर्थिक शोषण और बढ़ता वित्तीय बोझ, चिकित्सा कुप्रबंधन, आजीविका की हानि, और सरकारी हस्तक्षेप व सहायता की अनुपस्थिति शामिल हैं। मामलों के अध्ययन डॉक्यूमेंट किए गए हैं और सार्वजनिक सुनवाइयाँ आयोजित की गयी हैं, ताकि PC-PIC का गठन किया जा सके, जो न केवल उस दौरान हुई अन्यायपूर्ण घटनाओं को उजागर करेगा, बल्कि महामारी के चलते अब भी लोगों के जीवन पर पड़ रहे प्रभावों का समाधान खोजने का प्रयास करेगा।

पिछले तीन वर्षों में, PC-PIC ने भारत भर में विभिन्न हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की है। उत्तर प्रदेश में वनवासियों[8], आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हथकरघा समुदाय, और दिल्ली में स्ट्रीट वेंडिंग समुदाय के साथ कई सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गईं।

इसी तरह, कचरा बीनने वाले समुदाय की स्थिति को समझने के लिए, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में चार सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गईं।[9]

8 https://www.newsclick.in/covid-19-recounting-many-forms-losses-and-hardships

9 https://thewire.in/economy/is-the-pandemic-really-over-unearthing-stories-of-death-debt-and-distress

दिल्ली के कचरा बीनने वाले लोग

कोविड-19 का जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव

कचरा बीनने वाले वे व्यक्ति या समूह होते हैं जो घरों, सड़को, व्यवसायों और उद्योगों से उत्पन्न कचरे को इकट्ठा करने, छांटने और पुनर्चक्रण योग्य बना कर अपनी आजीविका कमाते हैं। वे कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने, पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने और शहरी स्वच्छता प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुमान है कि भारत में लगभग 40 से 50 लाख कचरा बीनने वाले हैं,[10] जिनमें अकेले दिल्ली में 2 लाख से अधिक कचरा बीनने वाले रहते हैं।[11] एक्शन इंडिया द्वारा दिल्ली में कचरा बीनने वाले लोगों के साथ किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 46.73% परिवार झुग्गी बस्तियों में रहते हैं।[12] 60.54% कचरा बीनने वाले प्रतिदिन ₹200 से कम कमाते हैं, 30.86% की दैनिक आय ₹200-500 के बीच है, और केवल 8.61% ही ₹500 से अधिक कमाते हैं। अनौपचारिक रूप से कचरा बीनने वाले दिल्ली में उत्पन्न कुल कचरे का लगभग 20% पुनर्चक्रण करते हैं,[13] जो प्रभावी कचरा प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

भले ही कचरा से असंगठित क्षेत्र के कबाड़ी बीनने वाले 40 से 50 लाख से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखकर स्थिरता और स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर श्रमिकों के रूप में कम प्रतिनिधित्व, पहचान और समर्थन मिलता है। इसके अलावा, वे जाति व्यवस्था की कुरीति के कारण दुगुनी हाशिए पर हैं, क्योंकि अधिकांश कचरा बीनने वाले दलित या अन्य निम्न जाति समुदायों से आते हैं। वही जाति व्यवस्था जो उन्हें इस पेशे में धकेलती है, उन्हें और भी अधिक कलंकित और बहिष्कृत कर देती है। सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के कारण उन्हें हिकारत की नजर से देखा जाता है और सामाजिक मेल-जोल से बाहर रखा जाता है।

दिल्ली में कचरा बीनने वालों की एक बड़ी संख्या ऐतिहासिक रूप से दबाए गए समुदायों से संबंध रखती है और इन्हें पारंपरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके लाया गया है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि दिल्ली में अनुसूचित जातियों, विशेष रूप से 'वाल्मीकि' समुदाय के लोगों को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के कार्यों के लिए ग्रामीण इलाकों से लाया गया था।[14] विडंबना यह है कि जो लोग शहर को साफ रखते हैं, उन्हें उच्च जाति और उच्च वर्ग के लोगों द्वारा हाशिए पर धकेल दिया जाता है। यह गहरी जड़ें जमा चुका ब्राह्मणवादी पूर्वाग्रह वैश्विक स्तर पर कबाड़ी मज़दूरों की समस्याओं को और बढ़ा देता है—जैसे कम मजदूरी, उत्पीड़न, और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम।

महामारी के दौरान यह कलंक और बढ़ गया क्योंकि कचरा बीनने वालों को संभावित वायरस वाहक के रूप में भी देखा जाने लगा। इस सामाजिक बहिष्कार ने उन्हें और हाशिए पर धकेल दिया, जिससे उनके लिए सहायता और राहत तक पहुंच पाना और कठिन हो गया। कबाड़ी मज़दूर कम आय अर्जित करते हैं और उन्हें उनके द्वारा

10 https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/developing-contemporary-india/is-there-a-role-for-informal-waste-pickers-in-the-new-waste-economy/

11 https://scroll.in/article/1007651/delhi-master-plan-2041-is-there-space-for-waste-workers

12 https://www.indiawaterportal.org/articles/down-dumps-delhis-waste-pickers-saga

13 https://www.wiego.org/impact-covid-19

14 https://www.wiego.org/blog/can-waste-pickers-help-solve-delhi%E2%80%99s-towering-trash-problem

एकत्र किए गए कचरे के वजन के आधार पर भुगतान किया जाता है। वे खतरनाक परिस्थितियों में बिना उचित उपकरणों जैसे दस्ताने या जूते के काम करते हैं और रोजाना विभिन्न जहरीले रसायनों, नुकीली वस्तुओं और बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं।

समाज के एकदम हाशिए पर जीवन बिताने के कारण, उनकी कठिनाइयाँ महामारी के दौरान और भी बढ़ गईं; लॉकडाउन और प्रतिबंधों ने उनकी आजीविका पर गंभीर असर डाला, जिससे वे और गहरी गरीबी में धकेल दिए गए।

जब महामारी आई और लॉकडाउन लगाए गए, तो कबाड़ी मज़दूरों को बाहर निकलने और कचरा इकट्ठा करने की अनुमति नहीं मिली, जिससे कई लोगों को महीनों तक काम नहीं मिला। इसका नतीजा पूरी तरह से आय के नुकसान के रूप में सामने आया, जिससे कई परिवार गंभीर भूख और अभाव की स्थिति में पहुँच गए। कबाड़ी मज़दूरों ने यह भी बताया कि काम के लिए बाहर जाने पर वे लगातार पुलिस उत्पीड़न के डर में जी रहे थे। सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बीच, उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महामारी ने उनकी पहले से ही अस्थिर स्थिति को उजागर कर दिया, जिससे उनके सामने मौजूद चुनौतियाँ और सामाजिक बहिष्कार और भी बढ़ गए, जिन्हें वे लंबे समय से झेल रहे थे।

महामारी के दौरान कचरा बीनने वाले समुदाय द्वारा झेली गई बहुआयामी चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, ऑल इंडिया कबाड़ी मज़दूर महासंघ (AIKMM) ने पीपल्स कमीशन और पब्लिक इंक्वायरी कमेटी (PC-PIC) के सहयोग से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जनसुनवाई आयोजित की।

> इन जनसुनवाइयों ने न केवल कचरा बीनने वालों द्वारा झेली जाने वाली अत्यधिक दैनिक कठिनाइयों को उजागर किया, बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन और कचरा निपटान के अनौपचारिक, अवैध निजीकरण के संयोजन ने पूरे समुदाय की पीड़ा को और गहरा कर दिया है।

लॉकडाउन के कारण कचरे के उत्पादन में काफी कमी आई, जिससे कचरा बीनने वालों के लिए कचरा इकट्ठा करना और अपनी आजीविका बनाए रखना और भी कठिन हो गया। आवाजाही पर प्रतिबंध और कचरे की मात्रा में कमी के कारण, कचरा बीनने वालों को अपने सामान्य संग्रह क्षेत्रों और निपटान स्थलों तक पहुंचने में कठिनाई हुई। इसके अलावा, एक जनसुनवाई में, कचरा बीनने वालों ने साझा किया कि कैसे उन्हें 'कोरोना कैरियर' कहकर बदनाम किया गया, जिससे वे और अधिक अलग-थलग पड़ गए और उन्हें कचरा इकट्ठा करने के लिए रहवासी बस्तियों में प्रवेश करने से रोका गया।

इन सभी कारकों के संयोजन ने कचरा बीनने वाले समुदाय में व्यापक आर्थिक संकट पैदा कर दिया। कोई राहत विकल्प उपलब्ध न होने के कारण, कई कचरा बीनने वालों को जीवित रहने के लिए साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा, जिससे वे और अधिक कर्ज में डूब गए। आजीविका के नुकसान के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारियों द्वारा किए गए उत्पीड़न ने गंभीर मानसिक और भावनात्मक तनाव को जन्म दिया, जिससे कचरा बीनने वाले अपने भविष्य को लेकर असमंजस में पड़ गए।

SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF
WASTE PICKERS
DEATH
DEBT
DROP ROBALL

विधि और प्रक्रिया

साल 2023 में कचरा बीनने वाले समुदाय के साथ आयोजित चार जनसुनवाइयाँ भूपुर, गाजियाबाद (1 मार्च), भलस्वा (19 मार्च) और घरौली (23 मार्च) में हुईं, और इनका समापन 30 मार्च को नई दिल्ली के संविधान क्लब में अंतिम जनसुनवाई के रूप में हुआ। इन जनसुनवाइयों को संचालित करने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैथड दोनों तरीकों का उपयोग किया गया, जो प्राथमिक शोध पर आधारित था। इस शोध के तहत जनसुनवाइयों से पहले एक महीने तक फील्डवर्क किया गया। इस फील्डवर्क का उद्देश्य जमीनी स्तर पर समुदाय की कहानियों को इकट्ठा करना और उनकी चुनौतियों को गहराई से समझना था। इस कार्य में AIKMM, DASAM, WWF और ASoJ के सदस्य, वालंटियर्स और PC-PIC की शोध टीम शामिल थी, जिन्होंने प्रमुख समस्याओं और जांच के बिंदुओं की पहचान की।

इन कहानियों को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किए गए ढांचे को तीन मुख्य विषयों के इर्द-गिर्द केंद्रित किया गया था: मृत्यु, कर्ज, और संकट। विभिन्न स्थानों पर इन कहानियों को दर्ज किया गया। प्राप्त विवरणों के आधार पर, इन तीन विशिष्ट चिंताओं—मृत्यु, कर्ज और संकट—को संबोधित करने के लिए एक प्रश्नावली विशेष रूप से कचरा बीनने वाले समुदाय के लिए तैयार की गई। इसी तरह, समुदाय के अनुभवों को व्यक्तिगत 'कोविड एफआईआर' के रूप में प्रलेखित किया गया, एक शब्द जिसे समुदाय ने स्वयं अपनी समस्याओं, अत्याचारों, उल्लंघनों और संघर्षों की गंभीरता को दर्शाने के लिए चुना। सभी दस्तावेज़ों और डेटा को आगे की समीक्षा और विश्लेषण के लिए पीपल्स कमिश्नर्स के साथ साझा किया गया।

पीपल्स कमिश्नर्स की पहचान उनकी विशेषज्ञता के आधार पर की गई, जो सुनवाई में चर्चा किए गए मुद्दों से संबंधित क्षेत्रों जैसे कानून, मानवाधिकार, स्वच्छता, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य में थी। प्रत्येक सुनवाई में उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि गवाही को पेशेवर ज्ञान और अनुभव के दृष्टिकोण से जांचा जाए।

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत डेटा कचरा बीनने वाले समुदाय के सदस्यों द्वारा भरी गई प्रश्नावलियों से लिया गया है। इन प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ समुदाय के सदस्यों की व्यक्तिगत कहानियों के आधार पर विश्लेषण किया गया।

रिपोर्ट में कचरा बीनने वालों की जातिगत संरचना को गहराई से विश्लेषण करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों और सामान्य वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जहां ग्राफ़ में इन समूहों को अलग-अलग एससी, एसटी और ओबीसी के रूप में दर्शाया गया है, वहीं विश्लेषण में राजनीतिक शब्दावली "बहुजन समुदाय" का उपयोग किया गया है। यह दृष्टिकोण हाशिए पर पड़े समुदायों की जनसांख्यिकीय संरचना की व्यापक समझ प्रदान करता है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की सामूहिक गंभीरता को उजागर करता है।

प्रक्रिया

जब महामारी फैली और देशव्यापी लॉकडाउन अचानक घोषित किया गया, तो दिल्ली के कचरा बीनने वालों की आय और आजीविका एकदम से छिन गई। उन्हें सरकार से कोई राहत नहीं मिली, जिससे वे पूरी तरह उपेक्षित रह गए और जीविका के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हो गए। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इस समुदाय की उपेक्षा किए जाने के कारण यह समझना आवश्यक हो गया कि उन्होंने इस संकट का सामना कैसे किया, उन्हें किसका समर्थन मिला, और उनकी आर्थिक पुनर्बहाली के लिए व्यवस्थित समाधान कैसे खोजे जाएं। इसने उनकी आवाज़ को सुने जाने और उनकी स्थितियों की जांच किए जाने की आवश्यकता को और उजागर किया।

इसी के परिणामस्वरूप, मार्च 2023 में, दिल्ली और एनसीआर के कचरा बीनने वालों ने एक पीपल्स कमीशन और सार्वजनिक जांच समिति (PC-PIC) प्रक्रिया शुरू की, ताकि महामारी, लॉकडाउन, आजीविका के नुकसान, स्वच्छता के काम का निजीकरण और इसके जारी प्रभावों से जुड़ी अपनी पीड़ा की जांच की जा सके।

इस प्रक्रिया के दौरान कुल 230 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया। सार्वजनिक सुनवाई में, इन 230 में से 175 व्यक्तियों के साक्षात्कारों के आधार पर 40 गवाहियां दर्ज की गईं। इन साक्षात्कारों और गवाहियों के आधार पर, समुदाय की चिंताओं को पीसी-पीआईसी (PC-PIC) के ढांचे—मृत्यु, कर्ज और संकट—में वर्गीकृत किया गया और फिर डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया। गवाही में सामने आए विभिन्न पहलुओं, जैसे आजीविका का नुकसान, पुलिस और एमसीडी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न, बढ़ता निजीकरण, प्रतिबंधों में ढील के बावजूद काम न कर पाने की समस्या, भ्रष्टाचार, कचरे तक पहुंच की कठिनाई आदि की भी जांच की गई। अधिकांश गवाहियों में इस बात को रेखांकित किया गया कि समुदाय को सबसे अधिक संघर्ष स्वच्छता के काम का निजीकरण, कचरा संग्रहण के लिए ठेकेदारों को किए जाने वाले अनुचित भुगतानों और अधिकारियों द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण करना पड़ा।

सभी चार सार्वजनिक सुनवाइयों में पीपल्स कमिश्नर्स ने भाग लिया। इन सुनवाइयों में उपस्थित पीपल्स कमिश्नर्स थे: सुश्री पामेला फिलिपोस, सुश्री रोमा, डॉ. श्यामला मणि, डॉ. वंदना प्रसाद, डॉ. अविनाश कुमार, श्री राजेश उपाध्याय, सुश्री शबनम हाशमी, डॉ. कोनिनिका रे, श्री सरोज पासवान, एडवोकेट राहुल चौधरी

गवाहियों और प्रस्तुत कहानियों को सुनने के बाद, उन्होंने समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के उपायों और सिफारिशों को साझा किया। साथ ही, उन्होंने जांच की प्रकृति और साक्ष्य निर्माण की प्रक्रिया पर भी अपने सुझाव दिए। नीचे 175 साक्षात्कार किए गए व्यक्तियों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल ग्राफ़ और प्रमुख डेटा बिंदुओं के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। उनकी पूरी कहानियां रिपोर्ट के अंत में उपलब्ध हैं।

जनसांख्यिकीय विवरण और विशेषताएँ

साक्षात्कार के आधार पर, 175 में से 40 लोग पिछले तीन से नौ वर्षों से कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं। 87 उत्तरदाता पिछले 10–19 वर्षों से इस पेशे में हैं, जबकि 41 लोग 20 वर्षों से अधिक समय से इसमें कार्यरत हैं। जातिगत संरचना के संदर्भ में, 10–19 वर्षों से कचरा बीनने का कार्य करने वालों में ओबीसी सबसे बड़ा समूह (20%) है, उसके बाद एससी 12.6%, सामान्य वर्ग 9.7% और एसटी 7.4% हैं। विशेष रूप से, 23.4% उत्तरदाता 20 वर्षों से अधिक समय से इस पेशे में कार्यरत हैं (देखें चित्र 1)

चित्र.1 कचरा बीनने के काम में बिताये गये वर्ष

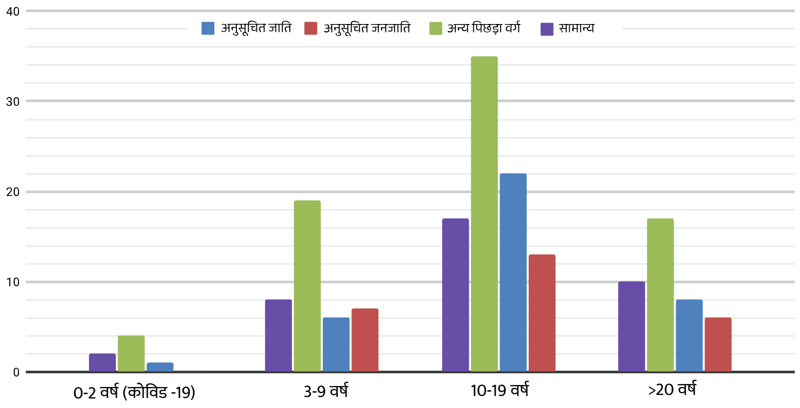

साक्षात्कार के आधार पर, 46.3% कचरा बीनने वाली महिलाएँ हैं और 53.7% पुरुष हैं (देखें चित्र 2)।

चित्र.2 लिंग अनुपात

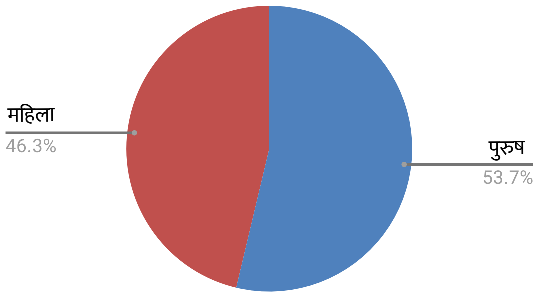

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि 42.9% उत्तरदाता ओबीसी वर्ग से, 21% एससी से, 14.9% एसटी से, और 21% सामान्य वर्ग से थे (देखें चित्र 3)।

चित्र.3 जातीय संरचना

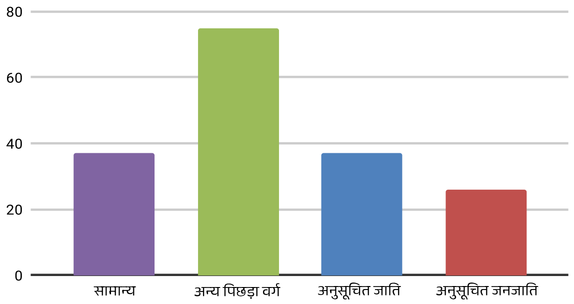

अधिकांश उत्तरदाता सीधे घरों से कचरा एकत्र करते हैं। विशेष रूप से, 47.4% घरों से कचरा जुटाते हैं, जबकि 30.9% कूड़ेदानों पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा, 4.9% लैंडफिल से कचरा एकत्र करते हैं (देखें चित्र 4)।

चित्र.4 कचरा इकट्ठा करने के स्त्रोत

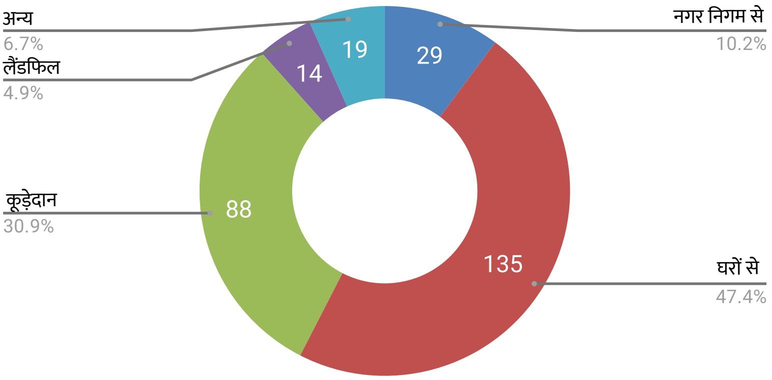

निष्कर्ष

मौन संघर्ष; आजीविका की हानि

सार्वजनिक सुनवाइयों से पता चला कि 54.2% उत्तरदाताओं की आय में 75% से अधिक की कमी आई, जिसमें 57.8% एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से थे, जबकि 42.2% सामान्य वर्ग से थे। इसके अलावा, 73.4% एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लोग और 26.7% सामान्य वर्ग के लोग 50% से अधिक आय में कमी का सामना कर रहे थे। यह दर्शाता है कि बहुजन समुदायों पर इस संकट का अधिक गंभीर प्रभाव पड़ा (देखें चित्र 5)।

चित्र.5 आजीविका पर प्रभाव

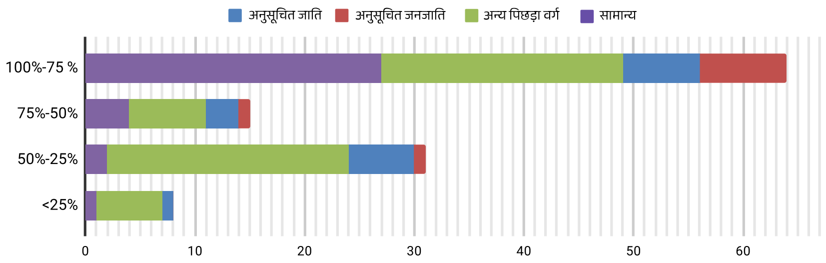

महामारी ने समाज के सभी वर्गों में निराशा की भावना पैदा की, लेकिन कचरा बीनने वाले समुदायों को एक अतिरिक्त स्तर के तीव्र भय और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। इसका कारण स्वयं महामारी नहीं थी, बल्कि लगाए गए सख्त लॉकडाउन थे, जिससे उनकी आय अप्रत्याशित रूप से घट गई या पूरी तरह बंद हो गई। आवाजाही पर प्रतिबंध और व्यवसायों के बंद होने के कारण कचरे का उत्पादन काफी कम हो गया। कचरे की उपलब्धता में इस कमी का कचरा बीनने वालों की आय पर सीधा असर पड़ा, क्योंकि उनके लिए इकट्ठा करने और बेचने के लिए कम सामग्री उपलब्ध थी। इसके अलावा, रद्दी कागज और कबाड़ धातु जैसी वस्तुओं की कीमतें भी गिर गईं।

दिल्ली, एक प्रमुख प्रवासी केंद्र होने के नाते, बड़ी संख्या में प्रवासियों का घर है, जिनमें कई कचरा बीनने वाले भी शामिल हैं, जो मूल रूप से बंगाल से हैं या अन्य उत्तरी और पूर्वी राज्यों से यहां आए हैं।[15] समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ जैसी औपचारिक संस्थाओं की अनुपस्थिति ने उन पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जिससे न्यूनतम वेतन के नियमित भुगतान या बेहतर वेतन के लिए बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। लंबे घंटे काम करने के बावजूद, कचरा बीनने वालों की आय न्यूनतम वेतन से भी कम होती है। उनके कार्य की अनौपचारिक प्रकृति उन्हें उन सरकारी सहायता कार्यक्रमों से वंचित रखती है जो औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली में कचरा बीनने वालों के सामने एक और चुनौती अंतर-

15 https://m.thewire.in/article/rights/bachaikari-of-bhalswa-narratives-of-waste-pickers-from-delhis-bhalswa-landfill

राज्यीय प्रवास में वृद्धि है, जिससे काम के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और मजदूरी में गिरावट आती है। इसके अलावा, वे किसी भी श्रम कानून के तहत कवर नहीं किए जाते, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, चिकित्सा बीमा योजनाओं आदि का लाभ नहीं मिल पाता।[16]

यह याद रखना आवश्यक है कि कमजोर और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भारतीय लोकतांत्रिक राज्य की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है। महामारी ने कचरा बीनने वाले समुदायों की औसत आय को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जनसुनवाई के दौरान यह सामने आया कि महामारी से पहले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की आय बहुजन समुदायों की तुलना में अधिक थी। हालांकि, दोनों समूहों में लगभग आधे लोगों को अपनी आय में कम से कम 75% की गिरावट का सामना करना पड़ा। हमारे आंकड़ों के अनुसार, एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के वे लोग, जो महामारी से पहले प्रति माह 26,000 कमा रहे थे, उनकी आय घटकर 3,500 से 8,000 के बीच रह गई। वहीं, सामान्य वर्ग के लोग, जिनकी पूर्व-महामारी आय 30,000 थी, उनकी कमाई गिरकर 2,600 हो गई। इसके बावजूद, दीर्घकालिक प्रभाव बहुजन समुदायों के कचरा बीनने वालों के लिए असमान रूप से अधिक गंभीर है, क्योंकि उनके पास वित्तीय सुरक्षा की कमी होती है और वे सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित पहुंच रखते हैं। इससे वे लगातार आर्थिक कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं (देखें चित्र 6)।

चित्र.6 कोविड-19 से पहले और दौरान औसत आय

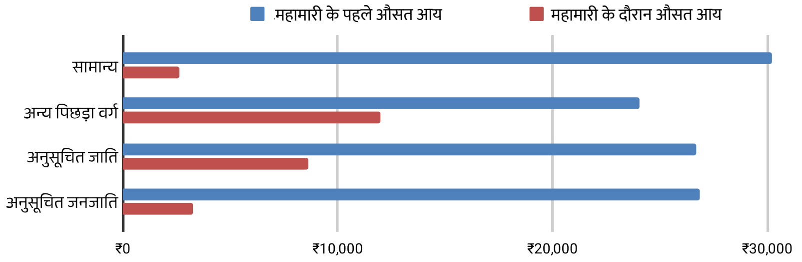

> "महामारी से पहले मैं 10,000 - 20,000 कमाता था। लेकिन महामारी के बाद मेरी आय में भारी गिरावट आई है। मेरे परिवार में सात लोग हैं। जो मैं कमाता हूँ, वह गुज़ारे के लिए पर्याप्त नहीं है",

कपिल ने कहा, जो भलस्वा के एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति हैं।

महामारी के कारण समुदाय को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वे जटिल और व्यापक थीं। आय का अचानक नुकसान कई लोगों को गरीबी और भयंकर भूख के कगार पर ले आया। कुछ कचरा बीनने वाले राशन पाने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे, जबकि कुछ को कुछ भी नहीं मिल पाया। लाचार होकर, वे बाहर जाने और

16 https://www.downtoearth.org.in/waste/high-time-to-address-occupational-hazards-of-waste-pickers-88043

कचरा इकट्ठा करने के तरीके खोजने के लिए मजबूर हो गए। जब प्रतिबंधों में ढील दी गई और कुछ व्यवसायों को फिर से खोलने की अनुमति मिली, तब भी उन्हें ऐसा कोई स्थान या दुकान खोजने में कठिनाई हुई, जहाँ वे इकट्ठा किया हुआ कचरा छांटकर पुनर्चक्रण कर सकें।

महामारी, जो एक स्वास्थ्य संकट थी, एक ऐसा कठिन समय था जब लोगों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक मेलजोल कम करने और दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई थी। लेकिन कचरा बीनने वालों को किसी भी सुरक्षात्मक उपकरण के बिना काम करना पड़ा, जिससे वे संक्रमण के बड़े खतरे में आ गए। दिल्ली में बढ़ते कचरे के साथ-साथ, इस समुदाय ने अपना स्वास्थ्य जोखिम में डालते हुए लापरवाही से फेंके गए मेडिकल कचरे—जैसे इस्तेमाल की गई सिरिंज, टेस्ट किट, मास्क आदि—इकट्ठा किए, जिससे वे संक्रमण की चपेट में आने की संभावना से घिर गए।

भारतीय कचरा बीनने वालों के गठबंधन (Alliance of Indian Waste Pickers) द्वारा किए गए प्रयासों और 23 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र[17] के बावजूद, जिसमें महामारी के दौरान समुदाय की सुरक्षा से संबंधित मांगें रखी गई थीं, सरकार की ओर से उनकी बुनियादी मांगों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इनमें सुरक्षात्मक उपकरण, तीन महीने का राशन, स्वच्छ पानी, सफाई आदि शामिल थे।

कचरा बीनने वालों के घर डंपसाइट्स के पास थे और उनका काम असुरक्षित और अस्वच्छ परिस्थितियों में होता था, जिससे उन्हें निकट भविष्य में किसी बदलाव की कोई उम्मीद नहीं दिखी। यहां तक कि जब वे स्थानीय पार्षद से मदद मांगने गए, तो उन्होंने भी कोई सहायता नहीं दी और उन्हें निराश लौटा दिया।

> “हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। जब मैंने लॉकडाउन के दौरान वार्ड पार्षद से मदद के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने मना कर दिया,”

घरोली के एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति प्रवीन ने याद किया।

उत्पीड़न और डराना-धमकाना: एक निरंतरता

महामारी ने भारत में गहरी समृद्धि-सामाजिक असमानताओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया और संकट के समय में हाशिये पर स्थित समुदायों को दोषी ठहराने की चिंताजनक प्रवृत्ति को सामने लाया। यह ध्यान भटकाने वाली रणनीति प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान हटा देती है, जबकि सार्वजनिक भय को उत्तेजित करती है, और सत्ता में बैठे लोगों को सहजता से बचाती है। जैसा कि पुस्तक मोरल कोंटेजियन (Moral Contagion) में जूलिया हाउसर और सारनाथ बनर्जी द्वारा चर्चा की गई है, इतिहास इस तरह के उदाहरणों से भरा हुआ है। पुस्तक में 19वीं सदी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण दिया गया है, जब अधिकारियों ने बॉम्बे में एक पूरी श्रमिक वर्ग की बस्ती को महामारी के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए ध्वस्त कर दिया था। इसके बावजूद, महामारी के प्रबंधन में बहुत कुछ नहीं बदला है।

हर संकट किसी न किसी को दोषी ठहराने की खोज को जन्म देता है, और अक्सर इसका शिकार ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय होते हैं, जिन्हें अधिकारियों द्वारा निशाना बनाया जाता है। यह प्रवृत्ति चिंताजनक और बार-बार दोहराई जाने वाली है।

17 https://globalrec.org/2020/03/23/waste-picker-informal-waste-collectors-of-india-seek-safety-measures-from-indian-government-to-safeguard-against-covid-19/

"एक दिन, जब मैं कचरा इकट्ठा करने जा रहा था, तो कुछ लोग, जो खुद को नगर निगम के ठेकेदार बता रहे थे, मुझे बीच रास्ते में रोक लिया। उन्होंने मेरा ठेला छीन लिया और मुझे परेशान किया। वे मेरे बेटे को भी पीटने लगे, जो उस समय मेरे साथ था। उन्होंने मुझसे हर महीने 3,000 देने की मांग की ताकि मैं कचरा इकट्ठा कर सकूं। मेरे पास हर महीने इतना पैसा नहीं है," भूआपुर के कार्तिक ने कहा।

कचरा बीनने वाले लंबे समय से उत्पीड़न और डराने-धमकाने के शिकार रहे हैं, जिसमें पुलिस और एमसीडी अधिकारी और अब प्राइवेट कंपनी वाले अक्सर इन दुर्व्यवहारों में सबसे आगे रहते हैं। महामारी के दौरान, कचरा बीनने वालों को अपने काम में और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुलिस गश्त के दौरान उन्हें सिर्फ कचरा इकट्ठा करने के लिए मौखिक रूप से गाली देती या शारीरिक रूप से हमला करती। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भी यह उत्पीड़न जारी रहा, और कुछ कचरा बीनने वालों को सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी के कारण कचरा इकट्ठा करने से रोक दिया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि बार-बार अनुरोधों के बावजूद, सरकार ने इस समुदाय के लिए सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए, और न ही समुदाय के पास इसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन था। महामारी के दौरान समुदाय का रोज़मर्रा का उत्पीड़न और बढ़ गया, जिसमें कचरा प्रबंधन का निजीकरण भी शामिल था। इस दौरान समुदाय ने देखा कि छोटे बाजार खिलाड़ी कचरा प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहे थे। ये घटनाएं अलग-थलग नहीं थीं; यह उस समय हो रहा था जब प्रमुख कंपनियों को उनके मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ (MRF) का सही ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इन कंपनियों ने, जिन्होंने थर्ड-पार्टी कचरा प्रबंधकों को काम पर रखा था, जुर्माने से बचने के लिए अपने MRFs को नियमों के अनुकूल दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा, यह संदेह है कि राज्य भी इस व्यवस्था में शामिल था, क्योंकि कचरा बीनने वालों को बढ़ते उत्पीड़न और रिश्वत की मांगों का सामना करना पड़ा। साक्षात्कारों से एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई: महामारी के दौरान अधिकारी कचरा बीनने वालों को नगर निगम वाहनों, सामुदायिक कूड़ेदानों या सड़कों से कचरा इकट्ठा करने की अनुमति देने से इनकार करने लगे, जब तक कि रिश्वत न दी जाए। यहां तक कि जिन कचरा बीनने वालों के पास आधिकारिक पहचान पत्र थे, वे भी इस उत्पीड़न से नहीं बच सके और खुद को ऐसे लोगों के निशाने पर पाया जो खुद को नगर निगम के ठेकेदार बताते थे।

> "मेरे पास एक आईडी कार्ड है जो मुझे एक कचरा श्रमिक के रूप में पहचानता है और उस पर तहसीलदार का हस्ताक्षर है। लेकिन फिर भी अधिकारी मुझे कचरा एकत्र करने की अनुमति नहीं देते,"

सीमापुरी से पंकज ने कहा।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि नगर निगम निगम उन्हें आवश्यक पहचान पत्र प्रदान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। न केवल समुदाय महामारी के कारण अपनी आजीविका की हानि से जूझ रहा है, बल्कि उन्हें और भी बुरे हालात का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें कचरा एकत्र करने की अनुमति पाने के लिए पुलिस और नगर निगम अधिकारियों, और निजी नगर निगम ठेकेदारों को रिश्वत देकर और अधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

साक्षात्कारों के अनुसार, 80.9% कचरा श्रमिकों ने नगर निगम कर्मचारियों को दी गई रिश्वत के कारण वित्तीय नुकसान होने की रिपोर्ट की, जबकि 69.7% पुलिस अधिकारियों द्वारा मांगी गई रिश्वत से प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त, 58.7% को नगर निगम वाहनों से कचरा एकत्र करने के लिए भुगतान करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें नुकसान हुआ। कचरा श्रमिकों द्वारा दी गई रिश्वत 3,000 से लेकर 1,50,000 तक थी, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा (देखें चित्र 7)।

चित्र.7 उत्पीड़न के कारण हुई वित्तीय हानि

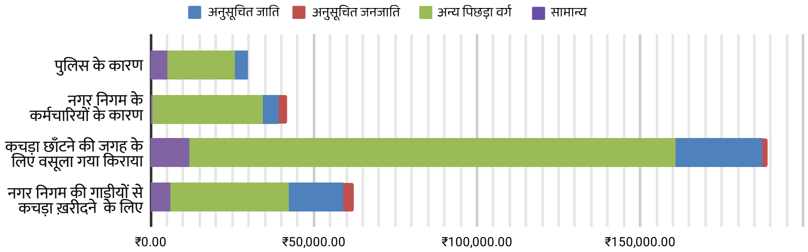

अपने झेले गए उत्पीड़न और उत्पीड़न के कारण होने वाले वित्तीय और मानसिक तनाव को याद करते हुए, कचरा श्रमिकों ने समझाया कि वे अपनी मामूली आय के बदले भारी रिश्वतें देते हैं, जो मुश्किल से उनके परिवारों का पालन-पोषण कर पाती हैं। जबकि वे यह समझते हैं कि ये मांगें न केवल अन्यायपूर्ण हैं, बल्कि अवैध भी हैं, वे महसूस करते हैं कि अपनी स्थिति से राहत पाने की तत्काल कोई उम्मीद नहीं है।

वित्तीय संकट = बढ़ता हुआ कर्ज

अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कचरा श्रमिकों को मजबूरी में साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा या फिर अपनी थोड़ी-बहुत संपत्ति बेचनी पड़ी। समुदाय की बढ़ती हुई साहूकारों पर निर्भरता, जो अत्यधिक ब्याज दरें लगाते हैं, ने भारी कर्ज़ पैदा कर दिया है जिसे कई सदस्य अभी तक चुका नहीं पा रहे हैं। कई कचरा श्रमिकों को अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा बढ़ते वित्तीय उत्पीड़न के कारण भी साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा, क्योंकि वे भारी रिश्वतें मांगते थे।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, कचरा श्रमिकों द्वारा औसतन 61,464 का कर्ज होने की रिपोर्ट दी गई (देखें चित्र 8)

> "कोविड-19 से पहले, मैं हर महीने लगभग 10,000 कमाता था। लेकिन अब, अगर मैं दिन में दो शिफ्ट भी काम करूं, तो भी मैं केवल 5,000 ही कमाता हूं। लॉकडाउन के दौरान मुझे कोई काम नहीं मिला, और उस समय मैंने अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए 10,000 का कर्ज लिया,"

घरोली के कचरा बीनने वाले व्यक्ति चरण ने बताया।

चित्र.8 महामारी के दौरान लिया गया क़र्ज़

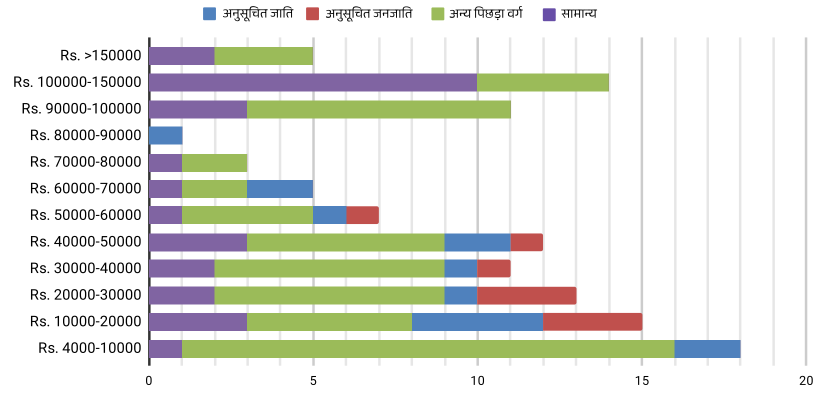

चूंकि अधिकांश कचरा श्रमिक बहुजन समुदायों से हैं, वे विशेष रूप से सामाजिक असमानताओं और प्रणालीगत दमन से पहले ही प्रभावित थे। इससे उन्हें महामारी और इसके बाद की स्थितियों से निपटने के लिए कोई सुरक्षा जाल नहीं मिला। उनके रोजगार अचानक बंद हो गए, और महीनों तक, लॉकडाउन और संबंधित प्रतिबंधों के कारण उन्हें काम और आय की कमी के कारण गंभीर संघर्ष का सामना करना पड़ा।

175 कचरा श्रमिकों में से 115 ने यह बताया कि उन्हें महामारी के दौरान खुद को और अपने परिवारों को सहारा देने के लिए कर्ज लेना पड़ा। वर्तमान में, 58 लोग एससी, एसटी, और ओबीसी समुदायों से और 11 लोग सामान्य श्रेणी से कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनके पास 4,000 से 50,000 तक का कर्ज है। इसके अलावा, 28 लोग एससी, एसटी, और ओबीसी समुदायों से और 18 लोग सामान्य श्रेणी से वर्तमान में 50,000 से 1, 50,000 तक के कर्ज का सामना कर रहे हैं।

> “जब मेरी बेटियाँ और पोते-पोतियाँ बीमार पड़े, तो मुझे उनके इलाज के लिए साहूकारों से पैसे उधार लेने पड़े। अब मेरे ऊपर 6 लाख का कर्ज है,”

भलस्वा से नसलीया ने कहा। वह वर्तमान में केवल 3,000 - 4,000 प्रति माह कमाती हैं, जबकि महामारी से पहले वह 7,000 - 8,000 कमाती थीं।

किसी प्रभावी नीति के बिना जो उनके आजीविका को स्थिर कर सके, कचरा श्रमिकों को केवल अपनी और अपने परिवारों की देखभाल के लिए भारी कर्ज जमा करने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप भारी वित्तीय दबाव और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम: अप्रभावी नीतियाँ और अधूरी वादे

म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स, 2000 को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 ने प्रतिस्थापित किया। SWM रूल्स को विकेंद्रीकरण, समावेशन को बढ़ावा देने, और कचरा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेश किया गया था।[18] लेकिन SWM रूल्स के लागू होने के बाद भी कचरा श्रमिकों के लिए ज्यादा कुछ नहीं बदला है, यदि कुछ बदला हो तो। इन नियमों ने कुछ महत्वपूर्ण उपायों की शुरुआत की, जैसे रैग-पिकर्स और कबाड़ीवालों जैसे अनौपचारिक कचरा संग्रहकर्ताओं को कचरा प्रबंधन प्रणाली में शामिल करना और उन्हें उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करना।

शुरुआत में कचरा श्रमिकों के लिए आशा की किरण के रूप में सराहे गए SWM नियमों का प्रभाव, उनके गलत और अप्रभावी क्रियान्वयन के कारण नकरात्मक रहा है। इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल भारत के कचरा बीनने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा देती है, जो स्वच्छता कार्यबल का एक महत्वपूर्ण लेकिन हाशिए पर रहने वाला हिस्सा हैं।

दिल्ली लंबे समय से बढ़ते हुए कचरे के उत्पादन से जूझ रही है, जिसके कारण लैंडफिल्स भर रहे हैं। कचरा प्रबंधन प्रणाली की कमी ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। दिल्ली प्रतिदिन लगभग 13,500 टन ठोस कचरा उत्पन्न करती है, जो भारत के किसी भी शहर से सबसे अधिक है, जिसमें से आधे से अधिक कचरे को लैंडफिल्स में डंप किया जाता है। दिल्ली में एक बड़ी संख्या में श्रमिक कचरा उद्योग पर अपनी आजीविका निर्भर करते हैं, जो SWM नियमों के तहत समावेशन के लिए अनिवार्य है। इसके बावजूद, सार्वजनिक सुनवाई, कई मीडिया रिपोर्ट्स और अनुसंधान सभी यह दर्शाते हैं कि SWM नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक दूर की वास्तविकता बनी हुई है।

यह ज्ञात हुआ कि स्थानीय सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र को एकीकृत करने के बजाय कचरा प्रबंधन को निजीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। नगर निगमओं ने अनौपचारिक श्रमिकों को कचरा प्रबंधन प्रथाओं को सुधारने के लिए सशक्त बनाने के बजाय, इस जिम्मेदारी को निजी कचरा संग्रह ठेकेदारों को आउटसोर्स करने का विकल्प चुना। परिणामस्वरूप, इस बदलाव ने अनौपचारिक श्रमिकों को और अधिक हाशिए पर धकेल दिया है। इसके अलावा, महामारी के दौरान, जब समुदाय पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था, कचरा संग्रह के निजीकरण में तेजी से वृद्धि देखी गई। इसके कारण निजी ठेकेदारों और नगर निगम अधिकारियों द्वारा लगातार उत्पीड़न हुआ और उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा। समुदाय को अतिरिक्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये निजी ठेकेदार, नगर निगम और पुलिस अधिकारी कचरा संग्रह करने के लिए उनसे पैसे की मांग करने लगे।

> "एक दिन काम पर जाते हुए, नगर निगम के ठेकेदारों ने मुझे रोका और मुझे धमकी देने तथा परेशान करने लगे। उन्होंने मेरी ठेली भी छीन ली। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे कचरा उठाना है तो मुझे उन्हें 10,000 रुपये मासिक देने होंगे, नहीं तो वे मुझे कचरा उठाने नहीं देंगे,"

कुँवर ने कहा, जो भुआपुर के एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति है।

---

18 https://vidhilegalpolicy.in/blog/delhis-waste-management-process-is-pushing-waste-pickers-to-the-margin/

कचरा बीनने वाले समुदाय को लगातार उत्पीड़न, कलंक और स्वच्छता प्रबंधन (SWM) दिशा-निर्देशों जैसे नियमों के अप्रभावी कार्यान्वयन का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी मदद करने में बहुत कम सक्षम हैं। सरकार से किसी भी तरह का समर्थन न मिलने के कारण, उनके पास अपनी समस्याओं को उठाने के लिए कोई मंच नहीं है।

कचरा संग्रहण सेवाओं का निजीकरण पर जोर अक्सर कचरा बीनने वालों की मौजूदा स्किल्स और नेटवर्क की अनदेखी करता है। वंचित करने की यह प्रक्रिया न केवल उन्हें सुरक्षित आजीविका से वंचित करती है, बल्कि स्थापित कचरा संग्रहण मार्गों को भी बाधित करती है। इसके अतिरिक्त, SWM नियम कचरा बीनने वालों को औपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणाली में सही तरीके से एकीकृत करने में असफल रहे हैं।"

इस दोषपूर्ण कार्यान्वयन के परिणाम कचरा उठाने वालों के लिए गंभीर हैं। निजीकरण सेवाओं द्वारा विस्थापन के कारण आय की हानि उन्हें और भी अधिक गरीबी में धकेल देती है और उन्हें अधिक स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है। डंपिंग स्थलों में उचित सुरक्षा उपकरण और बुनियादी ढांचे की कमी उन्हें चोटों और बीमारियों के प्रति लगातार जोखिम में डालती है। इसके अलावा, कचरा उठाने से जुड़ा हुआ सामाजिक कलंक लगातार उनके बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच में रुकावट डालता है।

स्वास्थ्य में गिरावट

आय में कमी के साथ, स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि आर्थिक बोझ को बढ़ाती है। जबकि कुछ कचरा उठाने वालों को उनके रोगों की गंभीरता के आधार पर मुफ्त उपचार मिला, अन्य लोग भारी कर्ज या मामूली बचत पर निर्भर रहते हैं। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि महामारी के दौरान, समुदाय ने जो पैसा स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च किया, वह विशेष रूप से COVID-19 के लिए नहीं था, बल्कि उन बीमारियों के उपचार के लिए था जो उन्होंने अपने पेशेवर खतरों के कारण झेली। यह सरकार की विफलता को रेखांकित करता है कि उसने समुदाय द्वारा दैनिक आधार पर झेले गए पेशेवर खतरों को ध्यान में नहीं लिया या उनका समाधान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, 52% कचरा उठाने वालों को स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी खर्चों को कवर करने के लिए ऋण लेना पड़ा (देखें चित्र 9)।

चित्र.9 महामारी के दौरान चिकित्सा खर्च के वित्तीय उपाय

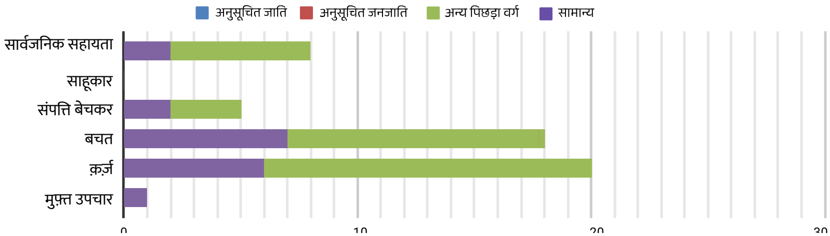

महामारी के दौरान, कचरा बीनने वालों की मुख्य चिंता वायरस से संक्रमित होना नहीं था। साक्षात्कार और सार्वजनिक सुनवाई से पता चला कि अपेक्षाकृत कम कचरा बीनने वाले संक्रमित हुए, हालांकि समुदाय ने COVID-19 के कारण पांच मौतों की सूचना दी।

हालांकि, सेवाओं के लॉकडाउन के कारण कई लोग नियमित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ थे, जिससे मौजूदा स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ गईं। जहां समुदाय में COVID-19 से संबंधित स्वास्थ्य चिंताएं कम थीं, वहीं कचरा बीनने वालों को अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैंसर विशेष रूप से प्रचलित है, और 52.8% कचरा बीनने वालों को किसी न किसी प्रकार का कैंसर पाया गया। इसके अलावा, 63.2% लोग एलर्जी से पीड़ित हैं, और 44.4% को अस्थमा या टीबी (तपेदिक) है (चित्र 10 देखें)।

चित्र.10 कचड़ा बीनने के कारण हुई स्वास्थ्य समस्याएँ

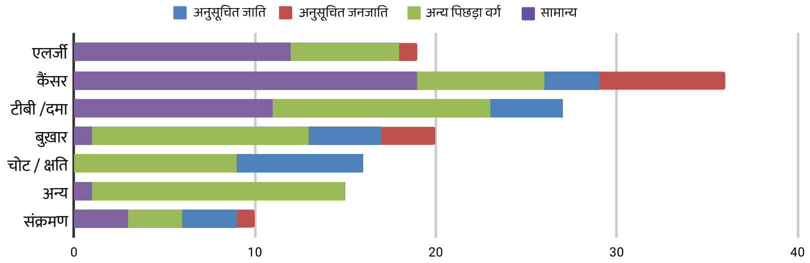

कचरा बीनने वाले शहरों में सस्ते आवास न मिलने की कठिनाई के कारण भयावह और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहते हैं, यह चुनौती औपचारिक कर्मचारियों के सामने नहीं आती, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी आवास योजनाओं तक पहुंच होती है। वे अक्सर झुग्गी-झोपड़ियों या लैंडफिल के पास रहते हैं, जहां हर तरह के कचरे, जहरीले पदार्थों और रसायनों से घिरे होते हैं। जो लोग मुख्य रूप से लैंडफिल में कचरे का काम करते हैं और उसे छांटते हैं, उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक होता है। उदाहरण के लिए, 70 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले भलस्वा लैंडफिल में 400 से अधिक कचरा बीनने वाले परिवार रहते हैं।[19] उनकी रहने की स्थिति, जो लगातार बढ़ते कचरे के पहाड़ से छाई हुई है, उपेक्षा और कठिनाई की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। इस समुदाय की अस्वच्छ रहने की स्थिति उनकी आजीविका के स्रोत से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।

यह परिवार अस्थायी आश्रयों में रहते हैं, जो बचाए गए सामग्रियों से बने होते हैं, जो उनके जीवन यापन के लिए छांटे गए कचरे की निरंतर याद दिलाते हैं। हवा में मीथेन, लीचेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जलते हुए प्लास्टिक का जहरीला मिश्रण छाया रहता है। हानिकारक गैसों, विषाक्त उत्सर्जन और अन्य खतरनाक कचरे के संपर्क में रहने से निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं, जिनमें दृष्टि, त्वचा और श्वसन समस्याएँ शामिल हैं। पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी मौजूदा दुख में और इजाफा करती है। स्वच्छ पानी तक पहुंच कम है, जिससे निवासी दूषित स्रोतों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। स्वच्छता सुविधाएं सीमित या अनुपस्थित हैं, जिससे अस्वच्छ रहने की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और बीमारियों का फैलाव होता है। इन बस्तियों में उचित कचरा निस्तारण सुविधाओं का अभाव स्वास्थ्य जोखिमों को और बढ़ाता है। बच्चे, जो विशेष रूप से पर्यावरणीय खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, अक्सर कचरे के बीच खेलते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और सलामती को और खतरा होता है।

19 https://www.downtoearth.org.in/waste/living-next-to-delhi-s-trash-mountain-policies-should-focus-on-easing-the-struggles-of-waste-pickers-9108

चिंतन एनवायरनमेंटल रिसर्च एण्ड एक्शन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि दिल्ली में 42% से अधिक कचरा बीनने वाले लोग कचरे को उनके घरों, रिक्शों या सड़क किनारे विभाजित करते और छांटते हैं, क्योंकि उनके पास कचरा सामग्री के साथ काम करने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है।[20]

निम्न स्तर की जीवन और कार्य स्थितियों, और स्वच्छ पानी की अनुपलब्धता के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे कुपोषण, एनीमिया और टीबी (तपेदिक) समुदाय के सदस्यों के बीच सामान्य हैं।[21] विशेष रूप से, महामारी के दौरान गंभीर खाने की सामग्री के अभाव के कारण समुदाय में कुपोषण बढ़ गया था। भूख को दूर करना और नियमित भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करना उस समय समुदाय की सबसे गंभीर मांगों में से एक था।

समुदाय अपने काम की प्रकृति के कारण सांस संबंधी संक्रमण विकसित करने के प्रति भी अधिक संवेदनशील है। धूल, कणीय पदार्थ और कचरा जलाने से निकलने वाली गैसों के निरंतर संपर्क में आने के कारण क्रोनिक श्वसन रोग जैसे अस्थमा, ब्रोन्काइटिस और पल्मोनरी विकार उत्पन्न होते हैं। ये वायुजनित प्रदूषक विशेष रूप से हानिकारक हैं, क्योंकि सुरक्षात्मक उपकरणों की कमी और संभावित खतरनाक सामग्री के बीच लंबे समय तक छंटाई करने में बिताए गए घंटों के कारण। अनुसंधान अध्ययन के अनुसार, कचरा छांटने वालों में श्वसन लक्षण विकसित होने की संभावना (28%) अन्य लोगों की तुलना में (15%) काफी अधिक थी।[22] उनकी शारीरिक चोटें भी अधिक होती हैं क्योंकि वे लगातार नुकीली और तेज़ वस्तुओं, जैसे कांच के टुकड़ों, से संपर्क में आते हैं।

भारत में कचरा बीनने वालों द्वारा सामना की जा रही स्वास्थ्य चुनौतियाँ पर्यावरणीय खतरों, सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर धकेलने, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच के संबंध का एक दुखद चित्र प्रस्तुत करती हैं। न केवल वे खतरनाक और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और रहते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती। जहाँ औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा, पेंशन और बेरोजगारी बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के सुरक्षा जाल का आनंद लेते हैं, वहीं कचरा बीनने वालों के लिए यह जाल छिद्रों से भरा हुआ है। उनके पास बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं तक पहुँच नहीं है, जिससे वे बीमारी या चोट के समय वित्तीय रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। बेरोज़गारी लाभ की कमी का मतलब है कि उनकी आजीविका विशेष रूप से असुरक्षित है और बीमारी या अन्य कारणों से अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे वे और गहरे गरीबी में धकेल जाते हैं। मातृत्व अवकाश और बच्चों की देखभाल संबंधी लाभों का तो नाम तक नहीं है, जो महिला कचरा बीनने वालों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं।

कचरा बीनने वालों के लिए औपचारिक पहचान और सामाजिक सुरक्षा की कमी एक मानवाधिकार का मुद्दा भी है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 23 में उचित और अनुकूल पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और एक पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार को मान्यता दी गई है। हालांकि, इन बुनियादी अधिकारों को अक्सर भारत में कचरा बीनने वालों से वंचित किया जाता है, जो नीति और कार्यान्वयन में प्रणालीगत असमानताओं और खामियों को दर्शाता है। महामारी के बाद, कचरा बीनने वालों और अनौपचारिक क्षेत्र में अन्य समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जो गंभीर कठिनाइयाँ झेली हैं, उन्हें देखते हुए यह कदम आवश्यक है।

---

20 https://scroll.in/article/1007651/delhi-master-plan-2041-is-there-space-for-waste-workers

21 https://www.downtoearth.org.in/waste/high-time-to-address-occupational-hazards-of-waste-pickers-88043

22 https://occup-med.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12995-017-0176-

अवलोकन और टिप्पणियाँ

जन आयोग (पीपल्स कमिश्नर्स) द्वारा

- कचरा बीनने वाले समुदाय के अधिकांश सदस्यों के पास राशन कार्ड नहीं था। यह आवश्यक था कि प्रत्येक परिवार को एक राशन कार्ड प्रदान किया जाए।
- उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिली, और यह सहायता की कमी विशेष रूप से महामारी के लॉकडाउन के दौरान स्पष्ट हुई, जब उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली।
- लॉकडाउन के लगातार दौर ने नियमित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को असंभव बना दिया।
- समुदाय को पानी की अपर्याप्त आपूर्ति का सामना करना पड़ा, अधिकांश कॉलोनियों को केवल एक टैंकर पानी प्रति दिन प्राप्त होता था।
- समुदाय को एमसीडी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा बढ़ती परेशानियों और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। कचरा बीनने वालों को सड़क के एक हिस्से को झाड़ने और उस पर पड़े कचरे को इकट्ठा करने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे।
- उनसे नगर निगम द्वारा निर्धारित कचरे के डिब्बों में कचरा डालने के लिए भी शुल्क लिया जाता था।
- लॉकडाउन के बाद, कचरा ढेर (खट्टे) निजी ठेकेदारों और कंपनियों को सौंप दिए गए, जिससे कचरा बीनने वालों को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- समुदाय को कचरा ढेर/खट्टे से कचरा इकट्ठा करने के लिए निजी ठेकेदार के प्रतिनिधि को पैसे देने पड़ते थे।
- इसके अलावा, निजी ठेकेदारों ने अपने वाहन कॉलोनियों में कचरा इकट्ठा करने के लिए भेजे। परिणामस्वरूप, पारंपरिक कचरा बीनने वालों को कचरा ढूंढने और इकट्ठा करने के कम अवसर मिले।
- प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा एकत्रित कचरे को कचरा बीनने वालों को प्रति कचरा ढेर 10,000 रुपये की उच्च पूंजी लागत पर "बेचा" जाता था।
- इन सभी घटनाओं ने कचरा बीनने वालों की आय को 33% तक घटा दिया।
- महामारी के दौरान आजीविका की हानि के कारण समुदाय को व्यापक रूप से साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा।
- दिल्ली के ठेकेदारों द्वारा संचालित कचरा बीनने की प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की तत्काल और अपरिहार्य आवश्यकता थी।
- कचरा बीनने वालों के बीच आजीविका की हानि को संबोधित करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप और समर्थन की आवश्यकता थी।

- यह महत्वपूर्ण था कि सरकारें, स्थानीय अधिकारी और नागरिक समाज संगठन सहयोगात्मक रूप से काम करें ताकि कचरा बीनने वालों का समर्थन किया जा सके, उनके कचरा प्रबंधन में योगदान को पहचाना जा सके और वे जो चुनौतियाँ झेल रहे थे, विशेष रूप से महामारी जैसे संकट के समय, उनका समाधान किया जा सके।
- दिल्ली सरकार को कचरा बीनने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए थे, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच।

महामारी के दौरान कचरा बीनने वाले समुदाय को अग्रिम पंक्ति के रक्षकों के रूप में क्यों नहीं माना गया ?

भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति और वर्ग की पूर्वाग्रहित धारणाएँ श्रमिक वर्ग, जिसमें कचरा बीनने वाले भी शामिल हैं, को हाशिए पर धकेलती हैं और उन्हें निरंतर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह समुदाय अनौपचारिक कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है—न केवल उनके कार्य के महत्व के लिहाज से, बल्कि उनकी संख्या के आधार पर भी—फिर भी, शहरी और ग्रामीण स्वच्छता में उनके योगदान को बड़े पैमाने पर अनदेखा और अवमूल्यित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मानजनक जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी के बावजूद, इन समुदायों को इसे सुरक्षित करने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी आजीविका निरंतर संकट में रहती है, जिससे उनके लिए उन अधिकारों का उपयोग करना कठिन हो जाता है, जिन्हें कानून द्वारा संरक्षित किया गया है।

कचरा बीनने वाले, अपने काम की प्रकृति और समाज में व्याप्त जाति-वर्ग विभाजन के कारण, अपने जीवन स्तर को सुधारने में गंभीर बाधाओं का सामना करते हैं। इस कठिनाई को सरकार से पर्याप्त समर्थन की कमी और भी बढ़ा देती है। यह समुदाय पहचान के अभाव, सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सीमित पहुंच, अनियमित या अपर्याप्त वेतन जैसी समस्याओं से जूझता है। इसके अलावा, कचरा संग्रहण के बढ़ते निजीकरण ने उन्हें और हाशिए पर धकेल दिया है, जिसमें महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया।

महामारी के दौरान, संकट से निपटने के लिए की गई सरकार की अपर्याप्त और खराब रूप से योजनाबद्ध नीतियों ने न केवल श्रमिक वर्ग की मौजूदा समस्याओं को बढ़ा दिया, बल्कि कई नई और अप्रत्याशित चुनौतियाँ भी पैदा कर दीं। कई समुदाय अभी भी इन प्रभावों से उबर नहीं पाए हैं, और सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर है। खासतौर पर कचरा बीनने वालों के लिए, आजीविका के उनके एकमात्र स्रोत को कुप्रबंधन के कारण नष्ट कर दिया गया, जिससे वे भारी कर्ज में डूब गए और उनकी गरीबी और गहरी हो गई।

दिल्ली में केवल एक सीमित संख्या में कचरा बीनने वालों को साक्षात्कार और जनसुनवाई में शामिल किया जा सका, लेकिन यह गौर करने योग्य है कि साक्षात्कार किए गए 175 लोगों में से, सामान्य श्रेणी के 42.2% ने अपनी आय में 100%–75% की कमी की सूचना दी। वहीं, ओबीसी श्रेणी के 46.7% लोगों ने 75%–50% तक की आय हानि बताई। महामारी के कारण हुई आय हानि ने लोगों की साहूकारों पर निर्भरता बढ़ा दी, जिससे कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। साक्षात्कार में शामिल 175 में से 116 लोग ₹10,000 या उससे अधिक के कर्ज में डूबे हुए हैं। कुछ पर तो ₹1,50,000 तक का भारी कर्ज चढ़ा हुआ है।

भारत के कचरा बीनने वालों पर महामारी के पूर्ण प्रभाव को समझने में एक बड़ा अंतर बना हुआ है। सरकार द्वारा इन प्रभावों का व्यापक मूल्यांकन करने में विफल रहने के कारण, नागरिक समाज संगठनों ने स्वयं पहल की और विभिन्न समुदायों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किए। यूके सरकार

द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों, जैसे उनकी COVID-19 जांच, से सीख लेना भविष्य के संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मजबूत प्रतिक्रिया रणनीतियाँ तैयार करने में मदद कर सकता है। भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी किसी जांच का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि महामारी और उसके बाद के प्रभाव विनाशकारी रहे हैं।

PC-PIC और AIKMM द्वारा आयोजित जनसुनवाई कचरा बीनने वालों के जीवन पर महामारी के लंबे समय तक बने रहने वाले प्रभाव की एक कड़वी याद दिलाती है। शुरुआती संकट के वर्षों बाद भी, उनकी आजीविका अभी भी स्थिर नहीं हो पाई है। सरकारें सामान्य स्थिति की बहाली पर जोर देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनसुनवाई इस बात को रेखांकित करती है कि कमजोर समुदायों पर महामारी के स्थायी प्रभाव को स्वीकार करना कितना आवश्यक है। महामारी की यादों को जीवित रखते हुए, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य की नीतियाँ उन लोगों की दीर्घकालिक जरूरतों को संबोधित करें, जो महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए और जिन्हें सरकारी उपायों से सबसे कम सहायता मिली।

सरकार की चुप्पी, इनकार और उपेक्षा के मद्देनज़र, यह आवश्यक है कि इन मुद्दों को नजरअंदाज न किया जाए या दबा न दिया जाए। लोकतंत्र में कुप्रबंधन के प्रति सरकारों और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूक प्रयास किए जाने चाहिए कि ऐसे घटनाक्रमों को अनदेखा न किया जाए और वे बिना समाधान के न छूटें। महामारी जैसे संकटपूर्ण समय में हाशिए पर मौजूद समुदायों पर हुए अत्याचारों की जांच करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारों से सवाल पूछने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की इस प्रक्रिया में, PC-PIC का लक्ष्य एक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया तैयार करना है—"जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता की"। यह संस्थानों और शासकीय निकायों की जवाबदेही को गहराई से स्थापित करने और एक नीचे से ऊपर (bottom-up) के दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करता है। PC-PIC संस्थागत चुप्पी की दीवारों को तोड़ने और उत्तरदायी शासन की मांग को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। साथ ही, इस पहल का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेला गया है, ताकि एक ऐसा भविष्य बनाया जा सके जहां उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए।

जनता के आयुक्तों द्वारा सिफारिशें और क्रियान्वयन योग्य बिंदु

डॉ. वंदना प्रसाद, श्रीमती पामेला फ़िलीपोज़, श्रीमती रोमा, डॉ. श्यामला मणि, डॉ. अविनाश कुमार, श्री राजेश उपाध्याय, श्रीमती शबनम हाशमी, डॉ. कोनिनिका राय, श्री सरोज पासवान और एडवोकेट राहुल चौधरी

1. सुरक्षित पानी, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी अधिकारों की गारंटी प्राथमिकता के रूप में दी जानी चाहिए। इन अधिकारों को नागरिकता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत किया जाना चाहिए, चाहे भूमि स्वामित्व की स्थिति कुछ भी हो।
2. स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE), सैनिटाइजेशन सामग्री और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना।
3. कचरा बीनने वालों की रहने और काम करने की परिस्थितियाँ, वे जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, और संभावित समाधान उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने की आवश्यकता है।
4. समुदायों में कचरा कामगारों की समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए, और ये समितियाँ एक महासंघ बनाकर समुदाय के अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से आवाज़ उठानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए इन समुदायों को नेतृत्व कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
5. उनके काम को नियमित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कामकाजी स्थितियों और कार्यस्थल के पास सुरक्षित आवास प्राप्त हो। जबकि कुछ निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है, पूरे मानव संसाधन श्रृंखला को शहर द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए और करों द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
6. यहाँ एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें छोटे मुद्दों से ध्यान हटा कर समुदाय के अनुभवों और गवाहियों पर आधारित व्यापक विमर्श की ओर ध्यान केंद्रित किया जाए।
7. लघु अवधि में, समुदाय को अधिक पानी के टैंकरों की मांग, राशन कार्ड का आवंटन, और अधिकारियों द्वारा वसूले जा रहे रिश्वत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिकायतों और अभियानों के माध्यम से संगठित किया जा सकता है।
8. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को किसी भी अनुवर्ती प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर मिले, यदि नेतृत्व का अवसर न भी हो |
9. 'विशेषज्ञों' आदि के बड़े समूह को अपने काम को शहर के कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक बड़े योजना और प्रणालियों में स्थित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह कहना उचित नहीं होगा कि मशीनीकरण नहीं होना चाहिए। हालांकि, यह कचरा कामकाजी कर्मचारियों को हाशिए पर डाले बिना किया जा सकता और किया जाना चाहिए।
10. कचरा कामकाजी कर्मचारियों को करियर उन्नति और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें बुनियादी संग्रहण से परे अधिक कौशल और मूल्यवर्धन वाले भूमिकाओं मे जाने का अवसर मिले।

11. स्थानीय अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया जाए ताकि कचरा बीनने वालों का बुनियादी अधिकार सुनिश्चित किया जा सके, जो भय, शोषण या उत्पीड़न से मुक्त होकर काम करने का है। स्थानीय पार्षद ने अपना समर्थन व्यक्त किया है, और संगठनों को इस संबंध का लाभ उठाते हुए अधिकारियों के साथ संवाद को बढ़ावा देना चाहिए।

12. समुदाय की क्षमता निर्माण की जाए और कचरा बीनने को एक अधिक स्थायी व्यापार मॉडल में परिवर्तित किया जाए। सुरक्षित संग्रहण, पृथक्करण और निस्तारण के त्रि-पक्षीय मॉडल पर काम किया जाना चाहिए, जिसमें श्रमिकों को इसके केंद्र में रखा जाए। इसे स्थानीय अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संभावित बाजार श्रृंखलाओं के साथ सहयोग में किया जाना चाहिए। सरकारी योजनाओं के तहत उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए।

13. समावेशी नीतियों को सुनिश्चित किया जाए और कचरा बीनने वालों के कचरा प्रबंधन में योगदान को पहचाना जाए। कचरा बीनने वाले समुदाय को औपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणालियों में बेहतर समावेशन के लिए लक्ष्य और योजना बनाई जाए।

14. कचरा प्राइवेटाइजेशन को रोका जाना चाहिए और कचरा बीनने वाले समुदायों को कचरा संग्रहण तक बिना किसी रुकावट के पहुंच दी जानी चाहिए।

15. चूंकि कचरा संग्रहण का कॉर्पोरेटीकरण (जैसा कि किया गया है) सरकार द्वारा 2016 में जारी ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसमें कचरा बीनने वालों की कचरा प्रबंधन में भागीदारी शामिल है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) उचित हो सकता है।

16. चूंकि MCD में एक नई पार्टी सत्ता में है, कचरा बीनने वाले प्रतिनिधि नई पार्टी से संपर्क कर सकते हैं और कॉर्पोरेटीकरण की नीति को पलटने की आवश्यकता को समझा सकते हैं।

17. सरकार को ठेकेदारों और अधिकारियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे स्थापित करने चाहिए।

18. स्थानीय संगठनों द्वारा कचरा बीनने वाले लोगों की बस्तियों में सभी बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक और सहायक गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए, ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। राज्य सरकार और MCD के नेतृत्व को भी इसे कुछ जवाबदेही उपायों के साथ सुनिश्चित करना चाहिए।

19. जन जागरूकता अभियानों और संबंधित पक्षों के साथ संवाद का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि कचरा प्रबंधन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके।

20. आय में कमी के दौरान कचरा बीनने वालों का समर्थन करने के लिए नकद ट्रांसफर किए जाने चाहिए|

21. कचरा बीनने वाले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ते साम्प्रदायिक हमलों का समाधान किया जाए, और ऐसे लक्षित उपायों के माध्यम से उनकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए, जो भेदभाव और हिंसा को रोकें।

पीपल्स कमिश्नर्स का परिचय

डॉ. अविनाश कुमार एक लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। वे वादा ना तोड़ो अभियान के राष्ट्रीय सह-संयोजक हैं।

श्रीमती पामेला फिलिपोस एक स्वतंत्र पत्रकार और शोधकर्ता हैं, जिन्होंने अपने करियर में विभिन्न समाचार पत्रिकाओं का नेतृत्व किया है।

एडवोकेट राहुल चौधरी दो दशकों से अधिक समय से पर्यावरण क्षेत्र में वकील हैं। वे लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक भी हैं।

श्री राजेश उपाध्याय एक श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता हैं और नेशनल अलायंस फॉर लेबर राइट्स (NALR) के संयोजक हैं।

श्रीमती रोमा एक प्राकृतिक संसाधन-आधारित सामुदायिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। वे ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल की महासचिव हैं।

श्री सरोज पासवान खोरी गाँव के एक आवास अधिकार कार्यकर्ता हैं, जिसे महामारी के बीच नष्ट कर दिया गया था। वे इस विस्थापन के बाद अपने समुदाय के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं।

श्रीमती शबनम हाशमी एक सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता और मानवाधिकार रक्षक हैं।

डॉ. वंदना प्रसाद एक सामुदायिक बाल रोग विशेषज्ञ और सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवर हैं, जिनका सामाजिक क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव है।

डॉ. श्यामला मणि एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, जो कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार कर रही हैं।

डॉ. कोनिनिका रे एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय महासंघ की सदस्य हैं। वे जैव चिकित्सा अनुसंधान का नेतृत्व करती हैं और सामाजिक कल्याण और न्याय में सक्रिय रूप से शामिल हैं, विशेष रूप से जेन्डर जस्टिस और समानता से जुड़े अधिकार-आधारित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

ग्रंथसूची

(हरिहरन, 2024)

(द हिन्दू , 2021)

(पीटीआई, 2021)

(कोविड ट्रुथ , 2024)

(रेगन और सूरी, 2020)

(कोशी, 2022)

(वर्ल्ड ओ मीटर्स, 2024)

(कुमार, 2022)

(द वायर, 2023)

(मेघनी, 2023)

(सिन्हा, 2021)

(भदुरी, 2018)

(माजिथिया, 2020)

(सिन्हा एस., 2018)

(मोहन, थॉमस, पटेल, धरगवेन, और मिस्त्री, 2022)

(सिंह, 2023)

(डीन और असेन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल वेस्ट पिकर ऑर्गनाइजेशन्स इन रिस्पॉन्डिंग टू द प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस, 2024)

(राणा, 2020)

(चौहान, 2023)

(सिन्हा एस., स्क्रॉल, 2021)

(सिन्हा आर., 2023)

(चोखान्ड्रे, सिंह, और कश्यप, 2017)

अनुलग्नक

कचरा बीनने वाले व्यक्तियों की गवाही

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए नाम बदले गए हैं

स्थान: भुआपुर, गाज़ियाबाद

1. नाम: श्री नईम

परिवार (यदि कोई हो): चार सदस्य

वह वर्षों से कचरा बीनने का काम कर रहे हैं, और यही उनकी एकमात्र आजीविका है। वह कचरा इकट्ठा कर उसे अलग-अलग छांटते हैं, जिससे उसे पुनर्चक्रण योग्य बनाया जा सके, और फिर बिचौलियों के माध्यम से इसे पुनर्चक्रण एजेंसियों को बेचते हैं। हालांकि, जनवरी 2022 से, कुछ अज्ञात लोग उन्हें धमका रहे हैं और कचरा बीनने का काम छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं।"एक दिन, जब मैं कचरा इकट्ठा करने जा रहा था, तो कुछ लोग आए और मेरा ठेला छीन लिया। फिर उन्होंने मुझे गालियां दीं और धमकाया। उन्होंने मुझे मारा, जिससे मेरी पीठ पर चोटें आईं।"वह दो हमलावरों को पहचान सके, जिनके नाम अखिलेश और मुकुंद हैं। उनका कहना है कि ये लोग खुद को नगर निगम का ठेकेदार बताते हैं और उन्होंने कौशांबी पुलिस स्टेशन में आईपीसी धारा 151 के तहत उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई है।

महामारी से पहले, उनकी आमदनी 10,000-20,000 रुपये प्रति माह थी, लेकिन महामारी के बाद इसमें भारी गिरावट आई। जनवरी 2022 से तो उनकी आमदनी पूरी तरह से खत्म हो गई है। लॉकडाउन के दौरान सरकार से कोई सहायता नहीं मिली, और जब उन्होंने स्थानीय वार्ड पार्षद से मदद मांगने की कोशिश की, तो उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई।सरकार द्वारा कचरा प्रबंधन को लेकर अपनाई गई नीतियों के कारण उन्हें 40,000-45,000 रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि वह अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल तक नहीं खरीद सके।

---

2. नाम: श्री अखिल

परिवार (यदि कोई हो): चार सदस्य

कचरा बीनना ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। महामारी से पहले, उनकी आमदनी 10,000-20,000 रुपये प्रति माह थी। हालांकि, इसके बाद उनकी आय में भारी गिरावट आई। उन्होंने बताया कि महामारी के बाद से, जो लोग खुद को नगर निगम का कचरा संग्रहण ठेकेदार बताते हैं, वे बार-बार उन्हें धमका रहे हैं और गाली-गलौज कर रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। महामारी के दौरान, सरकार से कोई मदद नहीं मिली, और स्थानीय वार्ड पार्षद ने भी कोई सहायता नहीं दी। आर्थिक तंगी और ठेकेदारों की धमकियों के कारण, उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। इस समय, वह 25,000 रुपये के कर्ज में डूबे हुए हैं।

3. नाम: श्री प्रदीप

परिवार (यदि कोई हो): छह सदस्य

वह वर्षों से कचरा बीनने का काम कर रहे हैं, और यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। उनका कहना है कि कोविड-19 के बाद से उनकी सबसे बड़ी समस्या आय में गिरावट है। महामारी से पहले, वह 10,000-20,000 रुपये प्रति माह कमाते थे, लेकिन अब परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे बताया कि महामारी के बाद से, जो लोग खुद को नगर निगम का ठेकेदार बताते हैं, वे बार-बार उन्हें धमका और गाली-गलौज कर रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। महामारी के दौरान सरकार से कोई सहायता नहीं मिली, और स्थानीय वार्ड पार्षद ने भी मदद देने से इनकार कर दिया। आर्थिक तंगी और ठेकेदारों की धमकियों के कारण, उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। इस समय, वह 10,000 रुपये के कर्ज में डूबे हुए हैं और उसे चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

---

4. नाम: श्री कार्तिक

परिवार (यदि कोई हो): चार सदस्य

उन्होंने बताया कि कोविड-19 से हुई परेशानियों के अलावा, महामारी के दौरान खुद को नगर निगम का ठेकेदार बताने वाले लोगों ने उनकी मुसीबतें और बढ़ा दीं। वह सुपरटेक टावर्स, एक निजी परिसर, से कचरा इकट्ठा करते थे। "एक दिन, जब मैं काम पर जा रहा था, तो उन्होंने मुझे रोक लिया और धमकाने व परेशान करने लगे। उन्होंने मेरा ठेला भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि वे नगर निगम के ठेकेदार हैं और अगर मुझे कचरा इकट्ठा करना है, तो हर महीने 10,000 रुपये देने होंगे। अगर मैं यह राशि नहीं दूं, तो वे मुझे कचरा नहीं बीनने देंगे।" इस अन्यायपूर्ण और भारी रकम का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण, उनकी आय में भारी गिरावट आई है और वह अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार या किसी स्थानीय नेता से कोई सहायता नहीं मिली।

5.नाम: श्री राजीव दास

परिवार (यदि कोई हो): चार सदस्य

कचरा बीनना ही उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। महामारी से पहले, वह ₹10,000 – ₹20,000 प्रति माह कमाते थे। हालांकि, महामारी के बाद से उनकी आय में भारी गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि महामारी के बाद से जो लोग खुद को नगर निगम के ठेकेदार बताकर कचरा इकट्ठा करने का दावा करते हैं, वे बार-बार उन्हें धमकाते और गाली देते हैं, जिससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ा है। महामारी के दौरान, उन्हें सरकार से कोई सहायता नहीं मिली और यहां तक कि स्थानीय पार्षद ने भी कोई मदद नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के दौरान सरकार द्वारा कचरा प्रबंधन को संभालने के तरीके के कारण उन्हें ₹50,000 का नुकसान हुआ। महामारी के कारण हुए आर्थिक संकट और ठेकेदारों द्वारा दी गई धमकियों के चलते उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। वर्तमान में, वह ₹25,000 के कर्ज में डूबे हुए हैं।

6.नाम: श्री सजिथ

परिवार (यदि कोई हो): सात सदस्य

वह बताते हैं कि कोविड-19 के बाद से कचरा बीनने से होने वाली उनकी आय बहुत कम हो गई है। हालांकि, उनके लिए महामारी के दौरान सबसे बड़ी समस्या नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा बार-बार किया गया उत्पीड़न था। उन्हें यह भी नहीं पता कि ये नगर पालिका के ठेकेदार वास्तव में वही हैं जो वे होने का दावा करते हैं ।"उन्होंने कहा कि अगर मुझे कचरा इकट्ठा करना है तो मुझे हर महीने ₹3,000 देने होंगे।"बिना किसी बचत और लगभग शून्य आय के कारण, वह अपने सात सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महामारी के दौरान न तो सरकार से कोई मदद मिली और न ही स्थानीय पार्षद ने कोई सहायता की।इसके अलावा, उनके बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई क्योंकि वह उनके लिए मोबाइल फोन खरीदने में असमर्थ थे।

7.नाम: श्री दास

परिवार (यदि कोई हो): सात सदस्य

वह वर्षों से कचरा बीनने का काम कर रहे हैं, और यही उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। वह बताते हैं कि महामारी के बाद से उनकी आय में भारी गिरावट आई है। महामारी से पहले, वह ₹10,000 - ₹20,000 प्रति माह कमाते थे, लेकिन कोविड-19 के बाद और आय में कमी के कारण, वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।उन्होंने आगे बताया कि जनवरी 2022 से, उन्हें धमकाया और गाली दी जा रही है, और यह सब वे लोग कर रहे हैं जो खुद को नगर निगम के ठेकेदार बताते हैं। उन्होंने इनमें से दो लोगों की पहचान अखिलेश और मुकुंद के रूप में की है। ये लोग उन्हें कचरा इकट्ठा नहीं करने देते, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें।"मेरे पास गाज़ियाबाद के तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित एक आईडी कार्ड है, जो मुझे कचरा बीनने वाले श्रमिक के रूप में प्रमाणित करता है, लेकिन फिर भी वे मुझे कचरा इकट्ठा नहीं करने देते," उन्होंने कहा।सरकार से कोई सहायता न मिलने के कारण, वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए।

8.नाम: भवेश

परिवार (यदि कोई हो): नौ सदस्य

कचरा बीनना ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बाद से उनकी आय में भारी गिरावट आई है, और वह अपने नौ सदस्यीय परिवार का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।इसके अलावा, जनवरी 2022 से, उन्हें लगातार कुछ अज्ञात लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो खुद को नगर निगम के ठेकेदार बताते हैं।"एक दिन जब मैं कचरा इकट्ठा करने जा रहा था, कुछ अज्ञात लोगों ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और मुझे धमकाने लगे। उन्होंने मेरी गाड़ी छीन ली और मेरे साथ आए 15 वर्षीय बेटे पर भी हमला किया।"कम आय और ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के कारण, उन्हें मजबूरन साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। अभी भी ₹60,000 का कर्ज बकाया है, और वह इसे चुकाने और अपने परिवार को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

स्थान: भलसवा

9.नाम: सुश्री नसलिया

परिवार (यदि कोई हो): उल्लेख नहीं किया गया

कचरा बीनना ही उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से पहले वह प्रति माह ₹7,000 – ₹8,000 कमाती थीं, लेकिन महामारी के बाद उनकी आय आधे से भी कम हो गई। वर्तमान में, वह मुश्किल से ₹3,000 – ₹4,000 प्रति माह कमा पा रही हैं।

महामारी के दौरान, उनकी बेटियां और पोते-पोतियां बीमार पड़ गए। जब वह उन्हें सरकारी अस्पताल ले गईं, तो उन्हें बताया गया कि उनके पोते-पोतियों की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मजबूरी में, वह उन्हें एक निजी अस्पताल ले गईं, जहां इलाज के लिए भारी रकम वसूली गई। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें साहूकारों से उधार लेना पड़ा। "अब मैं ₹6 लाख के कर्ज में डूबी हुई हूं," उन्होंने खुलासा किया।

स्थान: घरोली

10.नाम: श्री चरण

परिवार (यदि कोई हो): उल्लेख नहीं किया गया

वह पिछले छह वर्षों से कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम (MCD) के एक पर्यवेक्षक ने उनसे कचरा इकट्ठा करने की अनुमति के लिए ₹120 प्रतिदिन और ₹10,000 की जमा राशि देने को कहा, जो वह देने में असमर्थ थे। अब, उन्हें एक किलोमीटर की सफाई के लिए पर्यवेक्षक को ₹2,000 प्रति माह देना पड़ता है। केवल इसके बाद ही उन्हें कचरा उठाने की अनुमति मिलती है।इसके अलावा, यदि उन्हें गैर-रिसाइकल कचरा सामुदायिक कूड़ेदान में डालना होता है, तो इसके लिए भी उन्हें ₹2,000 प्रति माह चुकाने पड़ते हैं।"कोविड-19 से पहले, मैं लगभग ₹10,000 कमाता था। लेकिन अब, दो शिफ्ट में काम करने के बावजूद, मेरी आय सिर्फ ₹5,000 प्रति माह रह गई है। लॉकडाउन के दौरान मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए परिवार को चलाने के लिए मुझे ₹10,000 का कर्ज लेना पड़ा," उन्होंने कहा।

11.नाम: श्री विपिन दास

परिवार (यदि कोई हो): उल्लेख नहीं किया गया

वह पिछले 10 वर्षों से कचरा बीनने का काम कर रहे हैं। कोविड-19 के बाद से उनकी आय आधी हो गई है। महामारी से पहले, वह प्रति माह ₹20,000 – ₹24,000 कमाते थे। लेकिन अब, वह मुश्किल से ₹10,000 – ₹12,000 प्रति माह कमा पा रहे हैं।

12.नाम: श्री नवीन प्रसाद

परिवार (यदि कोई हो): उल्लेख नहीं किया गया

वह कचरा बीनने वालों से मिश्रित कचरा खरीदते हैं और उसे अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करके बेहतर दाम पर बेचते हैं। अलग किया हुआ कचरा मुंडका मंडी में बेचा जाता है। जब उन्होंने 2019 के मध्य में यह काम शुरू किया, तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में कचरा मिल जाता था, जिससे उनकी मासिक आय अच्छी थी। हालांकि, कोविड-19 के बाद से उनकी आय में भारी गिरावट आई है, और अब वह मुश्किल से ₹10,000 प्रति माह कमा पा रहे हैं। वह अपनी परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे हैं।

स्थान: सीमापुरी

13.नाम: श्री हरीश

परिवार (यदि कोई हो): तीन सदस्य

वह पिछले 15 वर्षों से कचरा बीनने का काम कर रहे हैं, और यही उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है। वह कचरा इकट्ठा करके उसका वर्गीकरण और पुनर्चक्रण करते हैं, फिर इसे बिचौलियों के माध्यम से रीसाइक्लिंग एजेंसियों को बेचते हैं। कोविड-19 से पहले, वह प्रति माह ₹25,000 – ₹30,000 कमाते थे। लेकिन महामारी के बाद से उनकी आय घटकर ₹10,000 – ₹15,000 रह गई। जनवरी 2022 में स्थिति और भी बिगड़ गई जब कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें लगातार धमकाना शुरू कर दिया और कचरा इकट्ठा करने से रोक दिया। हरीश ने निराशा में कहा, “ये लोग मुझे नगर निगम के कूड़ेदानों से कचरा उठाने नहीं देते। उन्होंने मुझसे ₹35,000 – ₹40,000 प्रति माह की भारी रकम मांगी, अगर मैं कचरा इकट्ठा करना चाहता हूं। उनका दावा है कि अब कचरा संग्रहण और प्रबंधन उन्हीं का है, और अगर हमारे जैसे कचरा बीनने वालों को काम करना है, तो हमें उनकी शर्तों के अनुसार पैसे देकर उन्हीं से कचरा लेना होगा। मैं इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकता था, इसलिए अब वे मुझे वहां काम नहीं करने देते,” उन्होंने कहा। लॉकडाउन के दौरान, सरकार या स्थानीय पार्षद की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। मजबूरी में, उन्हें बाहरी स्रोतों से सहायता लेनी पड़ी और ₹50,000 का कर्ज लिया, जिसमें से ₹32,000 अभी भी बकाया है। हरीश ने यह भी खुलासा किया, “मेरे परिवार और मुझे जबरन कोविड-19 का टीका लगवाना पड़ा क्योंकि हमें धमकी दी गई थी कि अगर हमने टीका नहीं लगवाया, तो हमारे नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे।”

14.नाम: सुश्री सादिया

परिवार (यदि कोई हो): पांच सदस्य

वह पिछले 15 वर्षों से कचरा बीनने का काम कर रही हैं, और यही उनकी एकमात्र आय का स्रोत है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बाद से उनकी आय में भारी गिरावट आई है, जो उनकी प्रमुख चिंताओं में से एक है। "महामारी से पहले, मैं ₹25,000 – ₹30,000 कमाती थी। अब मैं मुश्किल से अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त कमाई कर पा रही हूं," उन्होंने कहा। इसके अलावा, जनवरी 2022 से, उनकी आजीविका को अज्ञात लोगों द्वारा खतरे में डाला जा रहा है, जो खुद को कचरा प्रबंधन और वर्गीकरण के ठेकेदार बताते हैं।"वे मुझे नगर निगम के कूड़ेदानों से कचरा इकट्ठा करने नहीं देते और कहते हैं कि जब तक मैं उन्हें ₹35,000 – ₹40,000 नहीं देती, वे मुझे कचरा इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कचरा संग्रहण का पूरा ठेका उनके पास है और अगर मुझे कचरा इकट्ठा करना है, तो मुझे उन्हें पैसे देने होंगे और उनसे कचरा खरीदना होगा," उन्होंने कहा। यह उनके आय के स्रोत में और विघ्न डाल रहा है। महामारी और लॉकडाउन के दौरान, सरकार से कोई सहायता नहीं मिली और जब उन्होंने स्थानीय वार्ड पार्षद से मदद मांगी, तो उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि महामारी के दौरान उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई क्योंकि वह उन्हें मोबाइल फोन खरीदने के लिए सक्षम नहीं थीं। मजबूरी में, उन्हें अपने पड़ोसी का फोन उधार लेना पड़ा ताकि उनके बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकें। इसके अलावा, उन्हें यह धमकी दी गई कि अगर उन्होंने कोविड-19 का टीका नहीं लगवाया, तो उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे, और इसलिए उन्हें मजबूरी में टीका लगवाना पड़ा।

---

15. नाम: श्रीमती जसलीन

परिवार (यदि कोई हो): सात सदस्य

वह लगभग 35 वर्षों से कचरा बीनने का काम करती हैं और यह उनका एकमात्र जीवनयापन का स्रोत है। उन्होंने बताया कि COVID-19 के बाद उनके मुख्य मुद्दे आय में भारी गिरावट और उन लोगों से धमकियाँ हैं जो खुद को नगर निगम के ठेकेदार बताते हैं और काम करने की अनुमति नहीं देते। "महामारी से पहले मेरी आय 25,000 – 30,000 रुपये प्रति माह थी। हालांकि, महामारी के बाद, मैं मुश्किल से 15,000 रुपये प्रति माह कमा पाती हूँ। मेरी घटती आय से मैं अपने परिवार का खर्च ठीक से नहीं चला पा रही हूँ," उन्होंने कहा। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2022 से अनजान लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं और नगर निगम के कूड़ेदान से कचरा बीनने से रोक रहे हैं। "उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन और पृथक्करण का पूरा ठेका अब उनके पास है और अगर मुझे कचरा बीनना है तो मुझे उन्हें भुगतान करना होगा और उनसे कचरा इकट्ठा करना होगा। उन्होंने मुझसे प्रति माह 35,000 – 40,000 रुपये की मांग की, ताकि मैं कचरा इकट्ठा कर सकूं। मेरे पास स्थानीय विधायक द्वारा दिया गया वैध ID है जो मुझे कचरा बीनने वाली की रूप में मेरी पहचान करता है , फिर भी मेरी आजीविका को नकारा जा रहा है," बिबी ने बताया।

महामारी और लॉकडाउन के दौरान सरकार से कोई सहायता नहीं मिली, और काम और बचत की कमी के कारण, उन्हें पैसे उधार लेने के लिए साहूकारों से पैसे उधार लेने पड़े और वे वर्तमान में 20,000 रुपये के कर्ज में हैं। इसके अलावा, उनके बच्चों की शिक्षा भी महामारी के दौरान बाधित हो गई क्योंकि वह उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए मोबाइल फोन नहीं खरीद पा रही थीं।

16. नाम: श्री तौफीक

परिवार (यदि कोई हो): चार सदस्य

वह लगभग 20 वर्षों से कचरा बीनने का काम करते हैं। वह कचरा इकट्ठा करते हैं, उसे पृथक करते हैं, और पुनः चक्रण के लिए उसे मध्यस्थों के माध्यम से पुनर्चक्रण एजेंसियों को बेचते हैं। COVID-19 के बाद से वह आय में कमी का सामना कर रहे हैं। जनवरी 2022 में यह समस्या और बढ़ गई, जब उन लोगों ने जो खुद को कचरा प्रबंधन और पृथक्करण के ठेकेदार बताते थे, उन्हें धमकी दी और नगर निगम के कूड़ेदान से कचरा इकट्ठा करने से मना कर दिया।

"कुछ लोग मेरे काम पर जाते समय मुझे रोके और बताया कि वे ठेकेदार हैं और अगर मुझे कचरा इकट्ठा करना है तो मुझे उन्हें प्रति माह 35,000 – 40,000 रुपये का भुगतान करना होगा और कचरा उनसे ही इकट्ठा करना होगा। अगर मैं भुगतान नहीं कर सका तो वे मुझे कचरा इकट्ठा करने नहीं देंगे," उन्होंने कहा।

महामारी के दौरान, चूंकि सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी, उनके पास साहूकारों से उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने 40,000 रुपये का ऋण लिया, जिसमें से 20,000 रुपये अभी तक चुकाए नहीं गए हैं। घटती आय और ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न के कारण, वह राशि चुकाने और अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वह और उनका परिवार COVID-19 का टीका लगवाने गए थे, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि अगर उन्होंने टीका नहीं लगवाया तो उनके आधिकारिक दस्तावेज़ अमान्य माने जाएंगे। हालांकि, टीका लगाने के बावजूद, उन्हें टीकाकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया।

---

17. नाम: श्री जमाल

परिवार (यदि कोई हो): छह सदस्य

वह 20 से अधिक वर्षों से कचरा बीनने का काम करते हैं। COVID-19 से पहले उनकी आय 25,000 – 30,000 रुपये प्रति माह थी। हालांकि, महामारी के बाद, वह केवल 10,000 – 15,000 रुपये कमाते हैं। उनका जीवनयापन जनवरी 2022 में और प्रभावित हुआ, जब उन लोगों ने जो खुद को कचरा प्रबंधन और पृथक्करण के ठेकेदार बताते थे, उनके काम को रोक दिया। "उन्होंने कहा कि अगर मुझे कचरा इकट्ठा करना है, तो मुझे उन्हें प्रति माह 35,000 – 40,000 रुपये का भुगतान करना होगा और कचरा उनसे ही इकट्ठा करना होगा। वे अब मुझे कचरा इकट्ठा करने नहीं देते क्योंकि मैं भुगतान नहीं कर पा रहा हूं," जमाल ने कहा।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यात्रा प्रतिबंधों के कारण COVID-19 का टीका लगवाना पड़ा था। हालांकि, वह टीका लगवाने पर पछता रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें बार-बार छाती में दर्द और सांस लेने में समस्या हो रही है, जिससे उनकी काम करने की क्षमता सीमित हो गई है।

18. नाम: श्री आक़िल

परिवार (यदि कोई हो): चार सदस्य

वह 15 वर्षों से कचरा बीनने का काम करते हैं। वह कचरा इकट्ठा करते हैं, उसे पृथक करते हैं, और पुनर्चक्रण एजेंसियों को मध्यस्थों के माध्यम से बेचते हैं। महामारी के बाद उनकी प्रमुख चिंताएँ आय में कमी और ठेकेदारों द्वारा उत्पीड़न हैं।

"महामारी से पहले मैं 25,000 – 30,000 रुपये कमाता था। हालांकि, उसके बाद, मेरी मासिक आय लगभग आधी हो गई है। इन दिनों मैं मुश्किल से 15,000 रुपये कमा पाता हूँ," आक़िल ने कहा।

महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन ने उन्हें वित्तीय संकट में डाल दिया और काम और आय की कमी के कारण, उन्हें साहूकारों से पैसे उधार लेने पड़े। वह वर्तमान में 15,000 रुपये के क़र्ज़ में हैं।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2022 से, उन्हें नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा धमकी दी जा रही है, जो दावा करते हैं कि पूरा कचरा प्रबंधन और पृथक्करण अब उनके पास है। वे उन्हें कचरा इकट्ठा करने नहीं देते और कचरा इकट्ठा करने के लिए प्रति माह 35,000 – 40,000 रुपये का भुगतान करने की मांग करते हैं।

---

19. नाम: श्री मुनव्वर

परिवार (यदि कोई हो): सात सदस्य

वह 20 से अधिक वर्षों से कचरा बीनने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि महामारी के बाद आय में भारी गिरावट उन्हें गंभीर तनाव दे रही है और वर्तमान में वह अपने परिवार को संतुलित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

"महामारी से पहले, मैं 25,000 – 30,000 रुपये कमाता था। अब मैं मुश्किल से 15,000 रुपये प्रति माह कमा पाता हूँ," मुनव्वर ने कहा।

इसके अलावा, उन्हें उन लोगों द्वारा उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ रहा है जो खुद को कचरा प्रबंधन के ठेकेदार बताते हैं।

"जब भी मैं नगर निगम के कूड़ेदान से कचरा इकट्ठा करने जाता हूं, मुझे हमेशा रोका जाता है। ये लोग दावा करते हैं कि अब पूरा कचरा प्रबंधन और पृथक्करण उनके पास है और मैं कचरा इकट्ठा नहीं कर सकता, जब तक कि मैं उन्हें प्रति माह 35,000 – 40,000 रुपये का भुगतान न करूँ। उन्होंने कहा कि कचरा बीनने वालों को अब उन्हें भुगतान करना होगा और कचरा सीधे उनसे इकट्ठा करना होगा। महामारी के दौरान मुझे पुलिस द्वारा भी उत्पीड़ित किया गया था," मुनव्वर ने बताया। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी के दौरान उनके तीन बच्चों की शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई, क्योंकि उनके पास केवल एक स्मार्टफोन था और वह दूसरा नहीं खरीद सकते थे।

20. नाम: श्री फैज़ल

परिवार (यदि कोई हो): छह सदस्य

वह 20 वर्षों से कचरा बीनने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि COVID-19 और लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई और जब उन्होंने एक बार स्थानीय वार्ड काउंसलर से मदद मांगी, तो उन्हें मदद से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद से, उनकी आय में भारी कमी आई है क्योंकि अब वह पहले की तुलना में केवल आधी आय कमाते हैं।

“महामारी से पहले मेरी मासिक आय 25,000 – 30,000 रुपये थी। वर्तमान में, मैं मुश्किल से 15,000 रुपये प्रति माह कमा पाता हूँ,” फैज़ल ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि महामारी के बाद से, कचरा प्रबंधन के ठेकेदारों का दावा करने वाले लोगों ने उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी है।

“कुछ लोग जो कहते हैं कि वे ठेकेदार हैं और कचरा प्रबंधन और पृथक्करण अब उनके पास है, मुझे अब कचरा इकट्ठा करने नहीं देते। मुझे बताया गया कि मुझे कचरा सीधे उनसे इकट्ठा करना होगा, जिसके लिए मुझे प्रति माह 35,000 – 40,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो मैं नहीं चुका सकता,” उन्होंने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार ने COVID-19 का टीका लगवाया क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यदि उन्होंने टीका नहीं लगवाया तो उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। हालांकि, उनका कहना है कि टीका लगवाने के बाद उनकी माँ ने सामान्य कमजोरी की शिकायत की।

हमारे प्रकाशन

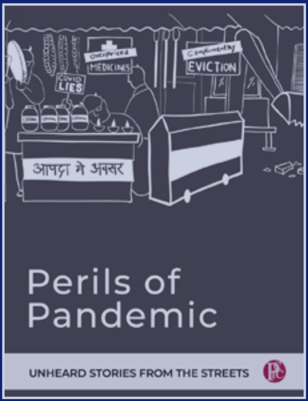

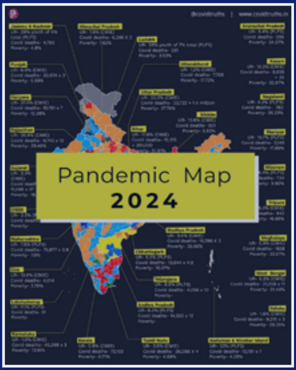

Wastepickers Welfare Foundation (WWF)

Association for Social Justice and Research (ASoJ)

Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch (DASAM)

All India Kabadi Mazdoor Mahasangh (AIKMM)

People's Commission and Public Inquiry Committee

peoplescommission2021@gmail.com

/covidtruths

covidtruths.in